कानपुर नगर निगम

दिनांक 18.09.2020 दिन शुक्रवार को सम्पन्न हुई

मा0 कार्यकारिणी समिति की बैठक का कार्यवृत्त

समय पूर्वान्ह 11.00 बजे

स्थानः नगर निगम समिति कक्ष,मोतीझील,कानपुर

कार्यालय सचिव
नगर निगम,कानपुर

पत्र संख्या :–डी/53 /सचिव (न0नि0)/2020–21 दिनांक :– 07.10.2020

सेवा में,

मा0 श्री/श्रीमती/सुश्री.........................

पार्षद वार्ड सं0.........../पदेन सदस्य

महोदय/महोदया,

नगर निगम मा0 कार्यकारिणी समिति की दिनांक 18.09.2020 दिन शुक्रवार को पूर्वान्ह 11.00 बजे सम्पन्न हुई, बैठक का कार्यवृत्त आपकी सेवा में संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक :–

कार्यवृत्त पृष्ठ संख्या 01 से 50 तक।

7/10/2020
सचिव
नगर निगम,कानपुर

प्रतिलिपि :–

1.नगर आयुक्त महोदय की सेवा में संज्ञानार्थ।
2.अपर नगर आयुक्त (प्रथम/द्वितीय/तृतीय) को सूचनार्थ।
3.समस्त विभागाध्यक्ष/विभागीय अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव
नगर निगम,कानपुर

दिनांक 18.09.2020 दिन शुक्रवार को पूर्वान्ह 11:00 बजे नगर निगम मुख्यालय स्थित समिति कक्ष में सम्पन्न हुई कार्यकारिणी समिति की बैठक का कार्यवृत्त

उपस्थिति

1.	श्रीमती प्रमिला पाण्डेय	महापौर / सभापति
2.	श्री अनूप कुमार शुक्ला	सदस्य
3.	श्री अवनीश खन्ना	सदस्य
4.	श्री दिनेश तिवारी	सदस्य
5.	श्री हरिशंकर गुप्ता	सदस्य
6.	श्री हाजी सुहेल अहमद	सदस्य
7.	श्री अर्पित यादव	सदस्य
8.	श्री अमनदीप सिंह गम्भीर	सदस्य
9.	श्री गिरीश चन्द्र	सदस्य
10.	श्री दीपक शर्मा	सदस्य
11.	श्री राघवेन्द्र मिश्रा	सदस्य
12.	श्री राशिद महमूद	सदस्य

अधिकारीगण

1.	श्री अक्षय त्रिपाठी	नगर आयुक्त
2.	श्री अरविन्द राय	अपर नगर आयुक्त 'द्वितीय'
3.	श्रीमती रोली गुप्ता	अपर नगर आयुक्त 'तृतीय'
4.	श्री रमेशचन्द्र निरंजन	मुख्य वित एवं लेखाधिकारी
5.	डॉ0 अजय कुमार शंखवार	नगर स्वास्थ्य अधिकारी
6.	श्री आर0बी0 राजपूत	महाप्रबन्धक 'जलकल'
7.	श्री राजीव सिंह	वित्त अधिकारी ''जलकल'

सभापति ने सर्वप्रथम नगर आयुक्त को एजेण्डानुसार बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करने के निर्देश दिये। तद्नुसार नगर आयुक्त ने अपर नगर आयुक्त ''द्वितीय'' को निर्देशित किया।

अपर नगर आयुक्त ''द्वितीय'' ने सर्वप्रथम कार्यकारिणी समिति की बैठक में उपस्थित सदस्यों का स्वागत करते हुये एजेण्डा के बिन्दु संख्या–1 के क्रम में नगर निगम कार्यकारिणी समिति के उपसभापति के निर्वाचन हेतु मा0 सभापति एवं सदस्यों से नाम प्रस्तावित करने का अनुरोध किया। जिस पर श्री दिनेश तिवारी ने श्री अनूप कुमार शुक्ला के नाम को उपसभापति हेतु प्रस्तुत किया, जिसका सभी सदस्यों ने अनुमोदन किया। माननीय सभापति द्वारा श्री अनूप कुमार शुक्ला को कार्यकारिणी समिति का उपसभापति घोषित किया गया और सभी सदस्यों ने उनका स्वागत किया।

तत्पश्चात अपर नगर आयुक्त ''द्वितीय'' ने एजेण्डा के बिन्दु सं0–2 के अनुसार मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी से नगर निगम के वित्तीय वर्ष 2020–21 के मूल बजट के तखमीनों के सम्बन्ध में सदस्यों को अवगत कराने हेतु कहा।

प्रस्ताव सं0–218

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी ने मा0 सभापति महोदया, नवनिर्वाचित मा0 उप सभापति, कार्यकारिणी के मा0 सदस्यगंण आप सभी विद्वतजनों से समक्ष नगर आयुक्त महोदय की पूर्व स्वीकृति तथा नगर निगम कानपुर के विभागाध्यक्षों से किए गये विचार विमर्श के पश्चात् मैं मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी नगर निगम कानपुर नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 146 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 में प्रस्तावित कुल आय रूपया 1198 करोड़ 62 लाख 33 हजार के सापेक्ष कुल प्रस्तावित व्यय रूपया रूपया 1198 करोड़ 62 लाख 33 हजार का मूल बजट तैयार कर प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसपर आपका ध्यानाकर्षण निवेदित है।

प्रस्तुत मूल बजट वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020–21 का है जिसे नियमानुसार 31 मार्च 2020 के पूर्व कार्यकारिणी के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाना चाहिए था, किन्तु माह मार्च 2020 में कार्यकारिणी के अस्तित्व में न होनें तथा कोविड–19 संकट के दृष्टिगत हुए लॉकडाउन के कारण वित्तीय वर्ष 2020–21 के मूल बजट के पारण की प्रक्रियाओं का सम्पूर्ण पालन करना सम्भव नहीं हो सका। दिनांक 01.04.2020 से नगर निगम के वित्तीय कार्यकलापों के संचालन में कोई बाधा उत्पन्न न हो इसलिए अधिनियम की धारा 146 की उपधारा (4) में उल्लिखित व्यवस्था का पालन किया गया जो इस प्रकार है –

''यदि किसी कारणवश (निगम) मे तखमीनों से सम्बन्ध वित्तीय वर्ष के आरम्भ से पूर्व बजट के तखमीनों को अंतिम रूप से अंगीकार नहीं किया गया है तो नगर आयुक्त द्वारा तैयार किए गये बजट के तखमीनों अथवा उपधारा (3) के अधीन कार्यकारिणी समति ने इन तखमीनों को प्रस्तुत कर दिया है तो ऐसे तखमीनों के सम्बन्ध में यह समझा जायेगा कि वे जब तक (निगम) द्वारा कार्यवाही नहीं की जाती उस वर्ष के बजट के तखमीने हैं''।

उक्त व्यवस्था के अनुसार बजट अनुमान तैयार करनें की प्रक्रिया के आधार पर दिनांक 31.12.2019 तक के आय–व्यय के आंकड़ों के दृष्टिगत कुल प्रस्तावित आय रूपया 1198 करोड़ 62 लाख 33 हजार के सापेक्ष कुल प्रस्तावित व्यय रूपया 1198 करोड़ 62 लाख 33 हजार के बजट अनुमान तैयार कर नगर आयुक्त महोदय से अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया था जो पूर्णतः विधि सम्मत था।

नगर आयुक्त महोदय द्वारा अनुमोदित वही एतिहासिक बजट मा0 कार्यकारिणी के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। एतिहासिक इसलिए कि हममें से किसी ने भी इससे पूर्व पूरे विश्व में किसी महामारी की ऐसी भयावहता नहीं देखी है। मुश्किल के इस दौर में इसी बजट की नौंका पर सवार होकर हमनें कोविड–19 की कलुषित नदी को पार करनें का साहस जुटाया है और इस बात को चरितार्थ किया है कि–

मंजिल उन्हीं को मिलती है, जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से ही उड़ान होती है।

इस महासंकट की घड़ी मे हमारे वित्तीय क्रियाकलाप चलते रहे। न तो कभी वेतन भुगतान का संकट आया और न ही शहर की साफ–सफाई और सेनेटाइजेशन का। हमनें आगे बढ़कर अपने शहर की जनता की सेवा की है इसके लिए हमारे समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी और विशेष तौर पर सफाई कर्मचारी धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होनें अपने प्राणों की बाजी लगाकर शहर की साफ–सफाई और सेनेटाइजेशन का ध्यान रखा। यह उन्ही की मेहनत का प्रतिफल है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में कानपुर नगर देश में 25वें स्थान पर आया, जबकि 2019 में 63वें स्थान पर था। इसी प्रकार गंगा किनारे बसे हुए शहरों के सर्वेक्षण में कानपुर देश में दूसरे स्थान पर आया है। उत्तर प्रदेश सरकार और नगर निगम प्रशासन की तरफ से भी उनका विशेष ख्याल रखा गया। माह मार्च 2020 में राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत आडिट अनुशासन मद की रूकी हुई 05 प्रतिशत धनराशि रू0–22,73,06,640.00 प्राप्त होते ही लगभग 12 माहों के लम्बित प्रोविडेन्ट फण्ड को अद्यतन कर दिया गया साथ ही सेवानिवृत्त होनें वाले कर्मचारियों के सेवानैवृत्तिक देयों का भुगतान भी अद्यतन कर सेवानिवृत्ति के साथ ही किया जाने लगा है। हमें मा0 कार्यकारिणी को अवगत कराते हुए परम हर्ष हो रहा है कि कर्मचारियों की सभी पुरानी लम्बित देयताओं को हमनें नियमानुसार भुगतान कर दिया है, फिर भी वास्तविकता से हमें मुंह नही मोड़ लेना चाहिए। कहते हैं कि–

अक्श उभरेगा गर्द हटादे पहले, धुधंले आइनें मे चेहरा नहीं देखा जाता।

महोदय आप सभी अवगत हैं कि राज्य वित्त आयोग से वेतन एवं पेंशन हेतु प्रतिमाह प्राप्त होनें वाली धनराशि नगर निगम की आवश्यकता को देखते हुए बहुत कम है। विगत वर्षों की तुलनात्मक स्थिति बताती है कि राज्य वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि कम हो रही है जबकि अधिष्ठान पर व्यय लगातार बढ़ रहा है। वित्तीय वर्ष 19–20 में राज्य वित्त आयोग से प्राप्त होनें वाली धनराशि से हमनें 43.35 करोड़ रूपये अधिष्ठान पर अधिक व्यय किया था, वहीं चालू वित्तीय वर्ष 20–21 में राज्य वित्त आयोग से प्राप्त होने वाली धनराशि से हम अब तक 86.72 करोड़ रूपये अधिष्ठान पर अधिक व्यय कर चुके हैं। इस 86.72 करोड़ रूपये में 68.31 करोड़ की धनराशि 14वें वित्त आयोग की है जिसे हमनें शासन के निर्देश पर माह मई एवं जून 2020 के वेतन एवं पेंशन पर व्यय किया है। रूपया 68.31 करोड़ में हम अबतक रू0–15.71 करोड़ की ही प्रतिपूर्ति नगर निगम निधि से कर सके हैं तथा शेष धनराशि रू0–52.60 की प्रतिपूर्ति नगर निगम की आय बढ़ाकर करना शेष है। यदि यह प्रतिपूर्ति नहीं हो सकी तो अनेकों समस्यायें उत्पन्न होंगी, क्योंकि इस धनराशि के सापेक्ष समस्त विकास कार्य मा0 महापौर जी की अध्यक्षता में गठित उच्चस्तरीय समिति द्वारा कोविड–19 संकट के पूर्व ही अनुमोदित किए जा चुके थे तथा वर्तमान में तेजी से गतिमान हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इन कार्यों को पूर्ण कर 31 दिसम्बर 2020 तक सम्पूर्ण भुगतान करनें के निर्देश दे दिए गये हैं। तात्पर्य यह है कि वेतन मद में व्यय हुई 14वें वित्त आयोग की धनराशि की प्रतिपूर्ति नगर निगम

निधि से करना अनिवार्य है, जिसके लिए आवश्यकता इस बात की है कि हमें नगर निगम के राजस्व की वृद्धि में न केवल मिल–जुल कर ठोस सामूहिक प्रयास करनें होंगे बल्कि एक जूनून जगाना होगा क्योंकि कहते हैं कि–

मंजिल यूहीं नहीं मिलती दोस्त, एक जूनून जगाना पड़ता है। पूंछा चिड़िया से घोसला कैसे बनता है, बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है।

राजस्व में वृद्धि के साथ–साथ आवश्यकता इस बात की भी है कि हम अपनें गैर जरूरी खर्चों में कटौती भी करें। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के महान चिन्तक कौटिल्य नें अपनें महान ग्रन्थ अर्थशास्त्र में लिखा है कि ''अर्थ के बिना कोई राज्य चलना असम्भव है। आय के अनुसार खर्च करना चाहिए। फिजूल खर्ची बरबाद कर देगी''।

कोविड–19 महामारी के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश सरकार ने भी मितव्ययिता बरतनें के आदेश निर्गत किए हैं। इसी आधार पर हमनें अपनें ईधन की खपत आदि में कटौती कर नगर निगम के हित में अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति को प्रदर्शित किया है।

आकड़े बताते हैं कि गत वित्तीय वर्ष 2019–20 में सम्पत्ति कर से नगर निगम की वास्तविक आय रू0–141.34 करोड़ हुई है। यदि यही आय चालू वित्तीय वर्ष 20–21 में रही तो इतनी धनराशि वेतन एवं पेशन की प्रतिपूर्ति में ही खप जायेगी, फिर विकास कार्य एवं अन्य व्यय कैसे होगें यह सोचनें का विषय है। अतः हमें अपनें सम्पत्ति कर वसूली में वृद्धि करना आवश्यक है, अन्यथा कानपुर की भावी पीढ़ी हमें कभी माफ नहीं करेगी। यहॉ हमें सायर मुजफ्फर रज़मी की कुछ पंक्तियॉ याद आ रही हैं उन्होने लिखा है कि–

कुछ ऐसे भी मंजर हैं तारीफ की नज़रों में, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पायी है।

प्रस्तुत बजट में चालू वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत सम्पत्ति कर की वसूली का लक्ष्य गतवर्ष की वसूली रू0–141.34 करोड़ के सापेक्ष रू0–163.01 करोड़ प्रस्तावित है जो हमारे आवश्यक लक्ष्य से बहुत कम है। आवश्यकताओं के दृष्टिगत हमें इस लक्ष्य के पार जाना होगा। चूंकि बजट में आय का लक्ष्य बढ़ानें का प्रभाव व्यय पक्ष पर पड़ना स्वाभाविक है इसलिए प्रस्तुत बजट में सम्पत्ति कर की वसूली का लक्ष्य अप्रत्यासित रूप से नहीं बढ़ाया गया है। अतिरिक्त वसूली होनें पर हम कभी भी मा0 कार्यकारिणी एवं मा0 सदन की अनुमति से अपने लक्ष्य संशोधित करने के लिए स्वतंत्र है।

कोविड–19 की भयावहता के दृष्टिगत हमनें प्रस्तुत बजट में एक नया तखमीना ''दैविय आपदा राहत कोष'' श्रजित कर रूपया पॉच करोड़ की धनराशि प्रस्तावित की है। इसके अतिरिक्त–

1–राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष मे प्राप्त धनराशि रू0–550 लाख के दृष्टिगत आगामी वित्तीय वर्ष के लिए रू0–600 लाख का प्राविधान प्रस्तावित है।

2– नगर निगम निधि मद में पशु आश्रय स्थलों का रख–रखाव व पशुओं के भूसा, चोकर एवं हरा चारा हेतु बजट आवंटन रू0– 150 लाख से बढ़ाकर 400 लाख कर दिया गया है।

3– नगर निगम निधि से कराये जाने वाले विकास कार्यों के बजट में कोई भी कमी नहीं की गई है लेकिन व्यय नगर निगम निधि मद मे प्राप्त होने वाली आय पर निर्भर करेगा। प्रमुख मदों में प्रस्तावित व्यय इस प्रकार हैं–

क्र0 सं0	मद	2019–20	2020–21
1	डीजल/पेट्रोल एवं गैस व्यय	30 करोड़	35 करोड़
2	सड़क अनुरक्षण	20 करोड़	20 करोड़
3	मार्ग प्रकाश अनुरक्षण	2 करोड़	2 करोड़
4	नाला /नाली अनुरक्षण	6 करोड़	6 करोड़
5	यातायात संकेत अनुरक्षण	1 करोड़	1 करोड़
6	पार्को का रख–रखाव	6 करोड़	6 करोड़

4– 14वॉ वित्त आयोग के अन्तर्गत रू0–165 करोड़ व्यय हेतु प्रस्तावित है, जिनके कार्य समिति द्वारा स्वीकृत हैं। 15वॉ वित्त आयोग के अन्तर्गत प्रस्तावित आय रू0–297 करोड़ के सापेक्ष रू0–170 करोड़ का व्यय प्रस्तावित है।

5– जे0एन0एन0यू0आर0एम0 /अमृत योजना के अन्तर्गत जलापूर्ति एवं सीवरेज मे चालू वित्तीय वर्ष मे प्राविधानित धनराशि रू0–358 करोड़ को हटा दिया गया है क्योंकि इन मदों की धनराशि मुख्यालय से सीधे जल निगम को हस्तान्तरित की जाने लगी है। अब यह नगर निगम के बजट का हिस्सा नहीं है।

6– इसी तरह रिवाल्विंग फंड मे चालू वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित धनराशि रू0–51 करोड़ को इस आशय से हटाया गया है कि इसकी कटौती अंततः राज्य वित्त आयोग से प्राप्त होने वाली धनराशि से ही होती है।

7– यदि उक्त दोनों धनराशियों (358 करोड + 51 करोड़) को हटाकर देख जाये तो चालू वित्तीय वर्ष 2020–21 का प्रस्तावित बजट गत वित्तीय वर्ष से रू0–119.28 करोड़ अधिक का है। तात्पर्य यह है कि कोविड–19 की महामारी के बीच भी हमनें बजट की धनराशि में बढ़ोत्तरी कर कानपुर के विकास में अपनी वचनबद्धता प्रकट की है।

हमारा वादा है, हर घर को जगमगायेंगे,

दियों की लौ को, हवाओं से हम बचायेंगे।

स्वर्ग उतरेगा एक रोज, कानपुर की धरती पर,

जो कोई कर नही पाया, वह कर दिखायेंगे।

इसी के साथ मूल बजट की प्रतियाँ समिति में वितरित कराते हुये नगर निगम कानपुर का मूल बजट वित्तीय वर्ष 2020–21 मा0 कार्यकारिणी के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया और समिति से अनुरोध किया कि कृपया विचारोपरान्त अनुमोदन देनें की कृपा की जाये।

मूल बजट वर्ष 2020-21

आय

(धनराशि लाख में)

लेखा शीर्षक	लेखा मद	पृष्ठ संख्या	वास्तविक आय 2018–19	मूल/पुनरीक्षित धनराशि 2019–20	वास्तविक आय 31.12.2019	प्रस्तावित धनराशि 2020–21
	राजस्व आय					
1101	करों से आय	3	15127.30	16301.50	9196.79	16301.50
1301	नगरीय सम्पत्तियों के किराये से आय	3	111.01	170.50	95.19	170.50
1401	शुल्कों से आय	3-4	2395.59	3053.00	1178.21	3053.00
1501	बिक्री एवं भाड़े से आय	5	79.33	227.00	76.50	227.00
1701	विनियोगो से आय	5	0.00	6.00	0.00	6.00
1801	ब्याज से आय	5	742.93	405.00	398.45	405.00
1901	अन्य आय	5	302.53	462.10	174.04	462.10
1601	राजस्व अनुदान एव अंशदान	6	29300.99	31177.00	23192.67	36007.00
	योग (अ)	**6**	**48059.68**	**51802.10**	**34311.85**	**56632.10**
	पूँजीगत आय					
3111	कार्य विशेष निधियाँ					
3111	वित आयोग : चौदहवाँ/पन्द्रहवाँ	6	10706.57	13100.00	6831.29	30400.00
3111	अवस्थापना निधि	6	1106.22	4050.00	307.28	4000.00
3111	अन्य कार्य विशेष निधियाँ	6	1812.37	3995.00	1769.06	4530.00
3301	सुरक्षित ऋण/असुरक्षित ऋण	7	0.00	7.00	0.00	7.00
	योग (ब)		**13625.16**	**21152.00**	**8907.63**	**38937.00**
	योग (अ+ब)		**61684.84**	**72954.10**	**43219.48**	**95569.10**

	रिजर्व फण्ड (जे0एन0एन0यू0आर0एम0 / अमृत)					
3311	राज्य सरकार परिक्रमी निधि ऋण (रिवालविंग फण्ड)	7	0.00	5200.00	0.00	100.00
3111	जे.एन.एन.यू.आर.एम. / अमृत योजना प्राप्तियाँ	7	4043.63	37381.60	192.86	1215.00
	योग (स)	7	**4043.63**	**42581.60**	**192.86**	**1315.00**
	कुल राजस्व, पूँजीगत एवं जे.एन.एन.यू.आर.एम. / अमृत आय (अ+ब+स)	7	**65728.47**	**115535.70**	**43412.34**	**96884.10**
4502		7	36369.33	33298.63	33298.63	22978.23
	महायोग	7	**102097.80**	**148834.33**	**76710.97**	**119862.33**

<u>व्यय</u>

(धनराशि लाख में)

लेखा शीर्षक	लेखा मद	पृष्ठ संख्या	वास्तविक व्यय 2018–19	मूल / पुनरीक्षित धनराशि 2019–20	वास्तविक व्यय 31.12.2019	प्रस्तावित धनराशि 2020–21
	राजस्व व्यय					
2101	अधिष्ठान व्यय	8	38008.21	40455.00	31075.85	43655.00
2201	प्रशासनिक व्यय	8-9	3884.53	2187.00	1003.11	2442.00
2301	अभियन्त्रण एवं अनुरक्षण	9-11	6528.75	12466.00	5123.98	13126.00
2401	ब्याज एवं वित्तीय शुल्क	11	547.31	458.00	0.51	608.00
4101	स्थाई सम्पत्तियाँ	11-12	159.61	1040.00	212.25	1040.00
	योग (द)	**12**	**49128.41**	**56606.00**	**37415.69**	**60871.00**
	पूँजीगत आय					
3111	कार्य विशेष निधियाँ	13	16412.00	16500.00	6365.25	33300.00
3111	वित आयोग : चौदहवाँ / पन्द्रहवाँ	13	3121.58	4000.00	723.83	4000.00
3111	अवस्थापना निधि	13	1500.95	5015.00	1176.21	5600.00
3111	अन्य कार्य विशेष निधियाँ	14	0.00	36.00	0.00	8.00
3301	सुरक्षित ऋण / असुरक्षित ऋण	14	21034.73	25551.00	8265.30	42908.00
		14	**70163.14**	**82157.00**	**45680.99**	**103779.00**

	आय (द+य)	**14**	**70163.14**	**82157.00**	**45680.99**	**103779.00**
3112	निकाय अंश हस्तान्तरण	14	0.00	5200.00	0.00	100.00
4604	जे.एन.एन.यू.आर.एम./अमृत योजना अग्रिम/व्यय आदि	14	4370.47	37932.60	257.01	2040.00
	योग (र)	**14**	**4370.47**	**43132.60**	**257.01**	**2140.00**
	कुल राजस्व, पूँजीगत एवं रिजर्व फण्ड व्यय (द+य+र)	**14**	**74533.61**	**125289.60**	**45938.00**	**105919.00**
3401	घटायें:– देयतायें/उचन्त खाते	14	3734.44	0.00	300.03	0.00
	शुद्ध राजस्व, पूँजीगत एवं रिजर्व फण्ड व्यय	**14**	**68799.17**	**125289.60**	**45637.97**	**105919.00**
	अन्तिम अवशेष:–	14	33298.63	23544.73	31073.00	13943.33
	महायोग	**14**	**102097.80**	**148834.33**	**76710.97**	**119862.33**

श्री हाजी सुहेल अहमद ने कहा कि बजट में सिर्फ सम्पत्ति कर को टारगेट किया गया है, जबकि टैक्स नगर निगम की आय का एक मुख्य श्रोत है। पिछली कार्यकारिणी समिति की बैठक में निर्णय हुआ था कि कानपुर नगर निगम सीमान्तर्गत कर की परिधि से छूटे हुये भवनों को कर की परिधि में लाया जाये। एक साथ चार–पॉच सौ मकान छूटे हुये है, जिनपर गृहकर आरोपित नही है। जो लोग नगर निगम में समय से अपना गृहकर जमा करते आ रहे है उन्ही पर बोझ डाला जा रहा है। इसी के साथ बजट में पार्षदों के वार्डो में विकास कार्य कराये जाने हेतु क्या यही 20.00 करोड़ का बजट रखा गया है।

नगर आयुक्त ने स्पष्ट किया कि नगर निगम निधि से प्रस्तावित आय के श्रोत में लगभग रू0 163.00 लाख की आय के सापेक्ष वर्ष 2019–20 में लगभग 64.00 करोड़ एवं वर्तमान वर्ष 2020–21 में अब तक लगभग 70.00 करोड़ की वसूली हो चुकी है। लगभग 35000 हजार भवन कर की परिधि से छूटे हुये है, उन्हें भी यथाशीघ्र कर की परिधि में लाया जायेगा। वेतन–पेंशन के मद में शासन से राज्य वित आयोग से मिलने वाली धनराशि में पिछले वर्ष 33 प्रतिशत की कटौती की गई थी, जिससे लगभग 30.00 करोड़ की अनुदान राशि प्राप्त हुई, यदि राज्य वित आयोग से मिलने वाली धनराशि में कटौती नही होगी तो विकास कार्यो में किसी प्रकार की दिक्कत नही आयेगी।

श्री गिरीश चन्द्र ने कहा कि मैं यह मानता हूँ कि कोविड–19 महामारी के कारण नगर निगम की वसूली प्रभावित हुई है। अतः बृहद योजना बनाकर कर की परिधि से छूटे हुये भवनों को कर की परिधि में लाना पड़ेगा, तभी सही मायनों में नगर निगम की आय बढ़ेगी।

.... सर्वसम्मति से नगर निगम के वित्तीय वर्ष 2020–21 के मूल बजट में आय पक्ष में रू0 96884.10 लाख तथा प्रारम्भिक अवशेष रू0 22978.23 लाख इस प्रकार कुल रू0 119862.33 लाख तथा व्यय पक्ष में रू0 105919.00 लाख तथा अन्तिम अवशेष रू0 13943.33 इस प्रकार कुल रू0 119862.33 लाख दर्शायी गयी धनराशि को स्वीकृति प्रदान करते हुये सदन को अग्रसारित किया गया।

अपर नगर आयुक्त ''द्वितीय'' ने बिन्दु–2 के क्रम में महाप्रबन्धक, जलकल से समिति के समक्ष वित्तीय वर्ष 2020–21 के मूल बजट को प्रस्तुत करने के लिये कहा, जिस पर श्री राजीव सिंह, वित अधिकारी द्वारा समिति को बजट की प्रतियाँ वितरित कराते हुये निम्नवत् अवगत कराया कि जलकल विभाग की राजस्व आय जलकर, सीवर कर एवं न्यूनतम प्रभार पर आधारित है। इन मदों में प्राप्त राजस्व आय से ही नगर की जलापूर्ति एवं सीवर व्यवस्था से आच्छादित वार्डों का संचालन व रख–रखाव किया जाता है। प्राप्त राजस्व आय से कर्मचारियों के वेतन/पेंशन का भुगतान कर शेष प्राप्त राजस्व आय को आवश्यक सेवाओं के संचालन एवं रख–रखाव मद पर व्यय किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2020–21 के प्रस्तावित बजट में संचालन आय रू0 143.50 करोड़ का प्राविधान विगत वर्ष के प्राविधान रू0 131.70 करोड़ के विपरीत किया गया है। मदवार आय का विवरण पृष्ठ 3 पर है। संचालन व्यय जिसमें अधिष्ठान व्यय, विद्युत व्यय, रख–रखाव एवं अन्य व्यय सम्मिलित है में. रू0 170.35 करोड़ का प्रविधान किया गया है जो विगत वर्ष रू0 164.70 करोड़ के विपरीत है। संचालन व्यय के अन्तर्गत मदवार प्राविधानित व्यय का विवरण बजट पृष्ठ सं0 4, 5, 6 एवं 7 पर है।

असंचालन आय में विद्युत व्यय की प्रतिपूर्ति प्राप्त राजस्व आय से न हो पाने के कारण विद्युत एवं अन्य व्यय सीमा में पूर्व वर्षों की भॉति शासकीय अनुदान रू0 42.00 करोड़ का प्राविधान किया गया है। असंचालन व्यय के मद में रू0 5.68 करोड़ का प्राविधान इस दृष्टि से किया गया है कि किसी आकस्मिक स्थिति में आवश्यक सेवाओं के संचालन में गतिरोध न आने पाये। बजट में किये गये प्राविधानों का उपयोग प्राप्त राजस्व आय की सीमा में किया जा सकेगा।

वित्तीय वर्ष 2020–21 का मदवार बजट प्रस्ताव कुल आय रू0 185.50 करोड़ एवं व्यय रू0 176.03 करोड़ का स्वीकृतार्थ प्रस्तुत है।

प्रस्ताव संख्या–219

जलकल विभाग नगर निगम, कानपुर

प्रस्तावित बजट वर्ष 2020–21

लेखा कोड	क्र.सं.	मद विवरण	वास्तविक आय 2018-19	प्रस्तावित आय 2019-20	वास्तविक आय दिसम्बर, 2019	प्रस्तावित आय 2020-21
	अ–	राजस्व आय–				
1100201		जलकर	6103.48	7530.00	4451.76	8200.00
1501011		अतिरिक्त जल मूल्य/न्यूनतम प्रभार	1878.07	2410.00	758.96	2635.00

1100301		सीवर कर एवं न्यूनतम प्रभार	2308.54	3050.00	1104.52	3325.00
1408002		अन्य प्राप्तियाँ	22.48	30.00	18.78	30.00
1408001		अधिभार	1.18	10.00	0.25	10.00
1401502		नियमितीकरण	7.80	20.00	5.80	20.00
1401401		विकास शुल्क	120.36	120.00	38.42	130.00
		योग राजस्व–	**10441.91**	**13170.00**	**6378.51**	**14350.00**
	ब–	**असंचालन आय–**				
3111301		डिपाजिट कार्य	2223.21	500.00	856.51	600.00
3112301		अनुदान (विद्युत एवं अन्य)	400.00	3600.00	-	3600.00
		कुल आय–	**13065.12**	**17270.00**	**7235.02**	**18550.00**
3311001	स–	**ऋण से प्राप्ति**	-	-	-	-
		योग– (अ+ब+स)	**13065.12**	**17270.00**	**7235.02**	**18550.00**
		प्रारम्भिक अवेशेष	1967.73	2372.00	1825.45	2604.00
		महायोग–	**15032.85**	**19642.00**	**9060.47**	**21154.00**

जलकल विभाग नगर निगम, कानपुर
प्रस्तावित वार्षिक बजट वर्ष 2020–21

लेखा कोड	क्र.सं.	मद विवरण	वास्तविक व्यय **2018-19**	प्रस्तावित व्यय **2019-20**	वास्तविक व्यय **दिसम्बर, 2019**	प्रस्तावित व्यय **2020-21**
	अ–	**संचालन व्यय–**				
2101001	1	अधिष्ठान व्यय	9318.51	10405.00	6293.28	10905.00
2302001	2	विद्युत एवं ऊर्जा	257.73	3600.00	0.00	3600.00
2303004	3	पूर्तियाँ	395.58	700.00	301.27	750.00
2308007	4	अन्य व्यय	52.60	75.00	69.83	75.00
2305006	5	रख–रखाव व्यय	946.85	1390.00	669.75	1405.00
2208003	6	जनरल टैक्स	765.79	300.00	0.00	300.00
		योग संचालन व्यय–	**11737.06**	**16470.00**	**7334.13**	**17035.00**

	ब–	असंचालन व्यय–				
4104007	1	जल मापक यन्त्रों का क्रय	-	2.00	-	2.00
4106001	2	मशीनों तथा यन्त्रों का क्रय	-	20.00	-	20.00
4107001	3	फर्नीचर तथा कम्प्यूटर क्रय	-	10.00	-	10.00
4105001	4	वाहन, ट्रैक्टर, टैंकर क्रय	-	0.00	-	0.00
4102001	5	भवन निर्माण एवं भूमि	-	10.00	-	10.00
4107006	6	आकस्मिक पूँजीगत व्यय	-	6.00	-	6.00
4103101	7	नई नलिकायें बिछाना (जल/सीवर)	-	10.00	-	10.00
4103201	8	ट्यूबवेल/पम्प हाउस	-	0.00	-	0.00
4104003	9	नये पम्पिंग/मोटर पम्प सेट का क्रय	-	10.00	-	10.00
3311001	10	ऋण एवं ब्याज का भुगतान	-	0.00	-	0.00
3111301	11	डिपाजिट कार्य का भुगतान	1470.34	500.00	1033.02	500.00
		योग असंचालन व्यय–	**1470.34**	**568.00**	**1033.02**	**568.00**
		कुल योग (अ ब) व्यय	13207.40	17038.00	8367.15	17603.00
		अन्तिम अवशेष	1825.45	2604.00	693.32	3551.00
		महायोग	**15032.85**	**19642.00**	**9060.47**	**21154.00**

श्री सुहेल अहमद ने कहा कि कुछ क्षेत्रों के अनेक भवन नगर निगम मे तो अंकित है, परन्तु जलकल विभाग द्वारा सीवर टैक्स व वॉटर टैक्स के बिल नही भेजे जा रहे है। संज्ञान में आया है कि चन्दारी में लगभग 10000 संयोजन लिये जाने है, परन्तु इस पर ध्यान नही दिया जा रहा है।

महाप्रबन्धक ने कहा कि हमारा प्रयास है कि जहाँ हम सेवायें दे रहे है, हम वहाँ से टैक्स ले रहे है, लेकिन जो भवन अभी टैक्स की परिधि से बाहर है, उनको टैक्स की परिधि में लाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिये वार्डो में कैम्प लगवाये जायेंगे।

श्री अर्पित यादव ने कहा कि हमारे वार्ड क्षेत्र में लगभग 25–30 गेस्ट हाउस खुल गये है, वहाँ से जलकल द्वारा सीवर व वॉटर टैक्स की वूसली नही की जा रही है। महाप्रन्धक जी बताये कि गेस्ट हाउस पर वाटर व सीवर टैक्स का क्या प्रावधान है ?

श्री राघवेन्द्र मिश्रा ने कहा कि कानपुर महानगर के अन्तर्गत जगह–जगह वॉटरवाश सर्विस सेन्टर खुल गये है, जिससे पानी की

बर्बादी के साथ–साथ महानगर का ड्रेनेज सिस्टम भी खराब हो रहा है, उस पर अंकुश लगाये जाने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री गिरीश चन्द्र ने कहा कि जलकल विभाग सीवर कर की वसूली पर ध्यान दे रहा है किन्तु जलकर की वसूली पर ध्यान नही दे रहा है। कई भवनों पर अभी भी वॉटर व सीवर टैक्स बिल नही भेजे जा रहे है, इस पर ध्यान देकर कानपुर महानगर के सभी भवनों को कर की परिधि में लाया जाये साथ ही जलमूल्य तथा जलकर के सम्बन्ध में अवगत कराया जाये ?

महाप्रबन्धक ने अवगत कराया कि यदि क्षेत्र में किसी भवन की 100मी0 परिधि के अन्दर मेरी जलापूर्ति लाइन तथा सीवर की लाइन जा रही होती है, तो भले ही भवन स्वामी ने संयोजन लिया हो अथवा न लिया हो फिर भी भवन के निर्धारित वार्षिक मूल्यांकन पर 12.50 प्रतिशत की दर से जलकर तथा 04 प्रतिशत सीवर कर वसूला जायेगा। यदि संयोजन लिया गया है तो नगर निगम की भाँति वार्षिक मूल्यांकन से निर्धारित टैरिफ/स्लैब के आधार पर जलमूल्य व सीवर मूल्य वसूला जायेगा।

सभापति ने कहा कि मैं भी श्रमिक कालोनी में रहती हूँ, श्रमिक कालोनियों से टैक्स नही लिया जा रहा है, इनसे भी टैक्स लिया जाये। विवेक टॉकीज से हलीम मुस्लिम कॉलेज तक रेलवे लाइन पर कई मंजिला भवन बन गये है, जिनमें फैक्ट्रिया चल रही है, उनसे कितना टैक्स लिया जा रहा है ? सभी सदस्यों से मैंने पूर्व में भी कहा था कि यदि कोई प्रस्ताव कार्यकारिणी समिति की बैठक में लगाना हो तो उसे 10–15 दिन पूर्व दिया जाये, जिससे प्रस्तावों को एजेण्डा में सम्मिलित करवाया जा सके।

श्री राघवेन्द्र मिश्रा ने कहा कि श्रमिक कालोनियों के सम्बन्ध में वर्ष 1995 में शासनादेश जारी हुआ था, जिसके क्रमांक–19 पर लेबर कालोनियों के पार्क, सड़क, फुटपाथ एवं सम्पत्तियों को नगर निगम में निहित कर दिया गया था, केवल उनका रख–रखाव श्रम विभाग करता है। अतः लेबर कालोनियों से टैक्स लिया जाय। शहर की 16 लेबर कालोनियों में अत्यधिक पार्क है जो अतिक्रमित है। यदि नगर निगम में पार्को के विकास व अतिक्रमण के सम्बन्ध में कहा जाता है तो यह श्रम विभाग से अनापत्ति की बात कहते है, यह कैसी स्थिति है, अधिकारी भ्रमित कर रहे है। वेलफेयर सेन्टर का स्वामित्व श्रम विभाग में निहित है।

सभापति ने कहा कि यदि श्रमिक कालोनियों में बिना एन0ओ0सी0 के कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा, तो उसमें सबसे पहले सम्बन्धित विभाग ही आकर खड़ा हो जायेगा। जिस शासनादेश की बात सदस्य जी कर रहे है, उसको दिखवा लिया जाये। चूँकि नगर निगम द्वारा श्रमिक कालोनियों में मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराई जा रही है, अतः टैक्स भी लिया जाना चाहियें।

श्री सुहेल अहमद ने महाप्रबन्धक, जलकल विभाग से कहा कि क्या आपके यहाँ मुख्यालय का बजट अलग होता है और जोन का अलग। आपके यहाँ जोन से ठेकेदार पत्रावली लेकर मुख्यालय से बजट सील लगवा लाते है, जिसकी जानकारी जोन को नही होती है।

महाप्रबन्धक जलकल ने स्पष्ट किया कि मुख्यालय से सभी जोनों को बजट वितरित कर दिया जाता है तद्नुसार जोन की पत्रावलियों में बजट सील अंकित की जाती है।

.... **सर्वसम्मति से जलकल विभाग के वित्तीय वर्ष 2020–21 के मूल बजट के आय पक्ष में रू0 18550.00 लाख एवं प्रारम्भिक अवशेष रू0 2604.00 लाख इस प्रकार कुल रू0 21154.00 लाख तथा व्यय पक्ष में रू0 17603.00 लाख एवं अन्तिम अवशेष रू0 3551.00 लाख इस प्रकार कुल रू0 21154.00 लाख की धनराशि को स्वीकृति प्रदान करते हुये सदन को अग्रसारित किया गया।**

<u>प्रस्ताव संख्या –220</u>

नगर आयुक्त महोदय कार्यालय के पत्र संख्या 58/3/प दिनांक 30.04.2020 को अधिनियम की धारा 148 एवं 221 के अन्तर्गत एवं मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठाकिंत सूचनार्थ प्रेषित।

<u>प्रस्ताव</u>

नगर निगम सीमान्तर्गत भवन एवं सम्पत्तियों पर आरोपित एवं देय सामान्य कर (गृहकर) की दरें विगत वर्षो की भॉति वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु निम्न प्रकार से प्रस्तावित है:–

1. रू0 1,200.00 वार्षिक मूल्य तक की सम्पत्तियों पर गृहकर की दरें वार्षिक मूल्य का 10 प्रतिशत ।
2. रू0 1.200.00 से अधिक वार्षिक मूल्य तक की सम्पत्तियों पर गृहकर की दरें वार्षिक मूल्य का 15 प्रतिशत।
3. नगर निगम सीमान्तर्गत स्थित सम्पत्तियों के ऐसे भवन/अध्यासी जिनके द्वारा प्रति वर्ष नियमित रूप से नगर निगम का गृहकर भुगतान किया जाता है, के व्यापक हित को दृष्टिगत रखतें हुये नगर निगम के वसूली अभियान में गति लाने तथा ईमानदार करदाताओं को प्रोत्साहित करने हेतु ऐसे करदाता जिन पर सामान्य कर (गृहकर) के मद में दिनांक 31.03.2020 तक पूर्ण धनराशि जमा होने पर/ अवशेष होने की स्थिति में सम्पूर्ण धनराशि जमा करने पर आगामी वित्तीय वर्ष 2020–21 की चालू मॉग पर मई 2020 से जुलाई 2020 तक 10 प्रतिशत छूट तथा इसके पश्चात विशेष परिस्थितियों में नगर आयुक्त को एक–एक

माह हेतु (जिसकी अन्तिम सीमा माह **नवम्बर,2020** होगी) बढ़ाये जाने की स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु अधिकृत किये जाने का प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं स्वीकृतार्थ प्रस्तुत है।

भारत सरकार द्वारा भुगतान प्रक्रिया में डिजिटाईजेशन की प्रमुखता दी गई है, इसमें त्वरित भुगतान के साथ–साथ समय की बचत होती है। अतः भवन स्वामियों द्वारा अपने गृहकर का भुगतान (ई–पेमेन्ट) डिजिटल करने पर 00.50 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट प्रदान किये जाने का प्रस्ताव भी मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं स्वीकृतार्थ प्रस्तुत है।

.... **सर्वसम्मति से 01 सितम्बर, 2020 से 31 अक्टूबर, 2020 तक वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020–21 की चालू मॉग पर 10 प्रतिशत की छूट प्रदान किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान करते हुये सदन को अग्रसारित किया गया।**

प्रस्ताव संख्या–221

श्री अनूप कुमार शुक्ला एवं 06 अन्य पार्षद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है कार्यकारिणी के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है :–

विषय :– अधिकारों का प्रतिनिधायन।

विदित है कि कोविड–19 का वैश्विक प्रकोप चल रहा है,वर्तमान में मा0 कार्यकारिणी समिति की बैठके आहूत नहीं हो पा रही है। नगर निगम अधिनियम 1959 में निहित प्राविधानों के अर्न्तगत कार्यकारिणी समिति के सदस्य अपने अधिकारो का प्रतिनिधायन कर सकते है।

अतएव हम कार्यकारिणी समिति के सदस्य नगर निगम अधिनियम 1959 में निहित प्राविधानों को जिन्हें हस्तानान्तरित किया जा सकता है,उन सभी अधिकारो हम आपको प्रतिनिधानित करते है, जो वर्तमान में समीचीन नही है।

तद्नुसार अग्रिम कार्यवाही करने का कष्ट करें।

श्री सुहेल अहमद ने कहा पूर्व में इस तरह के निर्णय होते रहे है! कार्यकारणी के ७ सदस्यों ने बहुमत के आधार पर अपने अधिकारों का प्रतिनिधान मा0 महापौर महोदया के पक्ष में कर दिया है। मौजूदा समय में कोविद–१६ के वैश्विक प्रकोप के चलते हुऐ इस तरह के निर्णय की आवश्यत्ता है।

.... **स्वीकृति को पढ़कर संज्ञान लिया गया।**

<u>प्रस्ताव संख्या–222</u>

श्री महेन्द्र पाण्डेय (पप्पू) मा0पार्षद वार्ड नं0–40 द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है कार्यकारिणी के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है :–

वार्ड नं0–40 विष्णुपुरी के अर्न्तगत आजाद नगर में कानपुर के गौरव रहे स्व0 तिलक जी जो वरिष्ठ साहित्यकार व वरिष्ठ अधिवक्ता तथा पत्रकार भी रहे थे और स्व0 तिलक जी ने कई पुस्तके भी लिखी थी । जिसका विमोचन पूर्व मा0 राष्ट्रपति डॉ0 शंकरदयाल शर्मा जी ने की थी और एक पुस्तक का विमोचन पूर्व मा0 राज्यपाल स्व0 रोमेश भण्डारी जी ने की थी। श्री तिलक जी जो पूर्व मा0 प्रधानमंत्री स्व0 पं0 अटल बिहारी बाजपेयी जी के मित्र के रूप में रहे है। आजाद नगर की पहचान श्री तिलक चौराहे से होती है श्री तिलक जी पुत्र डा0 राजतिलक जो कि बालरोग विशेषज्ञ है और कई देशो से सम्मानित भी है।

अतः मा0 आपसे आनुरोध है कि वर्षो से चले आ रहे तिलक चौराहे का व सामने वाले मार्ग का नाम स्व0 श्री तिलक जी के नाम से करने की कृपा करें। आपकी व कार्यकारिणी समिति का आभारी रहूँगा।

.... **परीक्षणोपरान्त यदि सन्दर्भित स्थल की सड़क का पूर्व से कोई नामकरण न हो तो नामकरण किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।**

<u>प्रस्ताव सं0:–223</u>

श्री कमल शुक्ल 'बेबी' वार्ड नं0–61मा0 पार्षद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है कार्यकारिणी के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है :–

विषय :– उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में कानपुर नगर निगम खाता खोलने के

आपसे निवेदन है कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक (A Scheduled Commercial Bank) को स्वरूप नगर कानपुर में, मधुराज अस्पताल के पास, कानपुर नगर निगम कार्यालय के पास खोला गया है।

मै नगर निगम को उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक स्वरूप नगर कानपुर में खाते खोलने की सलाह देता हूं।

उल्जीवन स्माल फाइनेंस बैंक (A Scheduled Commercial Bank) भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ छोटा वित्त बैंक है।

30 सिंतबर ,2019 तक पूरे भारत के 24 राज्यों में 552 शाखाओं और 400+ एटीएम का नेटवर्क है।

.... निरस्त किया गया।

<u>प्रस्ताव सं0 –224</u>

नगर आयुक्त के पत्र सं0 डी./   / अधि0अभि0–3 दिनांक .... को नगर निगम अधिनियम की धारा –132(3) के अन्तर्गत मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष स्वीकृतार्थ प्रेषित एवं मा0 महापौर जी द्वारा अनुमोदित।

प्रस्ताव

विषयः वार्ड –36 के अन्तर्गत बगाही मलिन बस्ती में मकान नं0 130/54 से 130/62 तक इण्टर लाकिंग टाइल्स द्वारा रोड एवं नाली का सुधार कार्य।

उपरोक्त विषयक कार्य का अगणन धनांक रू0 18,25,172.00 का बनाया गया जिसकी स्वीकृत मा0 महापौर जी के द्वारा मा0 कार्यकारिणी की स्वीकृति की प्रत्याशा में प्रदान की गयी है। तत्पश्चात् उक्त कार्य की दिनांक 27.02.2019 को प्रथम बार निविदा माँगी गयी एवं दिनांक 14.06.2019 को द्वितीय बार निविदा माँगी गयी, जिसमें कोई भी निविदा प्राप्त नहीं हुई । दिनांक 08.08.2019 को तृतीय बार निविदा माँगी गयी जिसमें एक निविदा प्राप्त हुई । प्राप्त निविदादाता ठेकेदार मे0 रामकिशोर की निविदा आगणन से 25.12 प्रतिशत निम्न धनाँक रू0 12,08,176.00 की हैं, जिसकी स्वीकृति सक्षम अधिकरी (नगर आयुक्त) द्वारा दिनांक 11.10.2019 को प्रदान की गयी है। इस कार्य का व्यय बजट शीर्षक–2305001 (नगर निगम निधि) मद से किया जाना प्रस्तावित है।

अतः मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष उक्त कार्य का प्रस्ताव नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा –132(3) के अन्तर्गत स्वीकृतार्थ प्रेषित है।

श्री अनूप कुमार शुक्ला ने कहा कि क्या कार्यकारिणी समिति के समक्ष एक ही प्रस्ताव रू0 15.00 लाख के ऊपर का लाया गया है और जोनो में रू0 15.00 से ऊपर का कार्य नही कराया गया है? यदि कराया गया है तो उसे मा0 कार्यकारिणी के समक्ष क्यों नही लाया गया है।

सभापति ने कहा कि नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा –132(3) का अनुपालन नगर आयुक्त द्वारा सुनिश्चित कराया जाये।

.... संज्ञान लेते हुये स्वीकृति प्रदान की गई।

<u>प्रस्ताव संख्या –225</u> नगर आयुक्त महोदय के आदेश दिनांक 06.08.20 पत्रांक डी/127/न0आ0/मु0अभि0/20/21 दिनांक 11.8.20 के क्रम मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्ताव विचारार्थ एवं/स्वीकृतार्थ प्रस्तुत।

मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या "क"

कृपया सचिव उत्तर प्रदेश शासन नगर विकास अनुभाग–5 द्वारा शासनादेश सं0 – 399/नौ –5–2016 दिनांक 24 फरवरी, 2016 के माध्यम से शिलालेख/पट्टिका लगाये जाने हेतु निम्नवत दिशा निर्देश निर्गत किये गये है :–

1. नगर विकास विभाग सम्बन्धित **शासकीय धनराशि से कराये गये विकास कार्यों** से सम्बन्धित शिलालेख /पट्टिकाओं में मा0 मुख्यमंत्री जी, मा0 मंत्री, नगर विकास विभाग तथा मा0 क्षेत्रीय विधायक का नाम अनिवार्य रूप से अंकित कराया जाय।

तद्नुसार शिलालेख/पट्टिका (साइज 3.5X2.5F.t.) लगाया जाना निम्नवत प्रस्तावित है:–

नगर निगम, कानपुर

वित्तीय वर्ष :–

1, कार्य का नाम–

2, मद का नाम–

3, स्वीकृत धनराशि–

4, फर्म का नाम व मो0 नं0–

5, कार्य प्रारम्भ होने की तिथि–

6, कार्य पूर्ण होने की तिथि–

7, अधिशाषी अभियन्ता का नाम व मो0 नं0–

8, कार्य की लम्बाई–

(नाम)	(नाम)	(नाम)
मा0 महापौर	मा0 मंत्री नगर विकास उत्तर प्रदेश सरकार	मा0 मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार
श्री/श्रीमती................	श्री/श्रीमती......................	श्री/श्रीमती......................
पार्षद.	मा0 विधायक	मा0 सांसद

तत्क्रम में शासकीय धनराशि से कराये जाने वाले रू0 5.00 लाख से अधिक लागत के कार्यों में लगाये जाने वाले शिलालेख /पट्टिका का प्रारूप मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचाराथ्र /स्वीकृताथ्र प्रस्तुत।

नगर आयुक्त ने कहा कि नगर निगम द्वारा कानपुर महानगर के अन्तर्गत कराये जाने वाले विकास कार्यो में रू0 05.00 लाख से ऊपर के कार्यो में स्थल पर शिलालेख लगवाये जाने के उपरान्त ही भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित कराई जायेगी।

.... उक्त प्रस्ताव के अनुक्रम में निर्धारित प्रारूप पर शिलालेख/पट्टिका में नामों को अंकित कराने तथा नगर निगम द्वारा कराये जाने वाले विकास कार्यो में लगाये जाने वाले शिलालेख/पट्टिका में मा0 महापौर व क्षेत्रीय पार्षद तथा नगर निगम अधिकारी का नाम अंकित किये जाने के साथ नगर निगम द्वारा लगाई जाने वाली शिलालेखों/पट्टिकाओं में सभी के नाम एक समान साइज में अंकित किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रस्ताव संख्या–226

श्री महेन्द्र पाण्डेय (पप्पू),वार्ड नं0 40 मा0 पार्षद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव,जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है,मा0 कार्यकारिणी के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत :–

परम श्रदेय बैरिस्टर नरेन्द्रजीत सिंह का जन्म रायबहादुर विक्रमजीत सिंह के यहॉ 18 मई 1911 में हुआ था। आप प्रारम्भ से ही कुशाग्र बुद्धि के मेघावी छात्र थे। उच्च शिक्षा हेतु आप इंग्लैण्ड गये जहॉ पर 5 वर्ष तक रह कर बैरिस्टरी की शिक्षा प्राप्त की उसके पश्चात आप भारत लौटे। आपका विवाह जम्मू कश्मीर राज्य के तत्कालीन प्रधानमंत्री दीवान बद्रीदास जी की सुपुत्री श्रीमती सुशीला नरेन्द्रजीत सिंह (पूज्यनीय बू जी) के साथ हुआ। जम्मू कश्मीर रियासत के भारत विलय में श्रदेय बैरिस्टर साहब का योगदान चिरस्मणीय है, आप 40 वर्ष तक श्री ब्रह्मामावर्त सतानत धर्म महामण्डल के अध्यक्ष रहे जिसमें वर्तमान में 10 विद्यालय संचालित हो रहे हैं। इसके साथ–साथ आपके ट्रस्ट के द्वारा अनेक विद्यालय जम्मू में भी संचालित हो रहे है। शिक्षा क्षेत्र में आपका योगदान अविस्मरणीय है। पं0 दीनदयाल उपाध्याय इण्टर कालेज का निर्माण आपके परिवार में पूर्णतया अपने व्यक्तिगत संसाधनों से करवाया। भारतीय राजनीति के पुरोधा स्वर्गीय नाना जी देशमुख, स्व0 पं0 दीनदयाल उपाध्याय एवं स्व0 अटल बिहारी बाजपेई के साथ बैरिस्टर साहब के अच्छे समबन्ध रहे । ऐसे महापुरूष के नाम से बी0एस0एस0डी0 कालेज चौराहे से पं0 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग व मोतीलाल खेड़िया स्कूल मार्ग को स्व0 बैरिस्टर नरेन्द्र जीत सिंह के नाम करने की कृपा करें। आपकी महान दया होगी।

.... कार्यवृत्ति जारी होने के समय मोतीलाल खेड़िया प्रबंधक द्वारा उक्त प्रस्ताव पर आपत्ति प्रकट की गयी है, अतएव प्रस्तावक आपत्ति निराकरण के उपरान्त अगली कार्यकारिणी समिति में पुनः प्रस्तुत करें।

<u>प्रस्ताव संख्या –227</u>

श्री हाजी सुहैल अहमद,श्री राघवेन्द्र मिश्रा तथा मा॥0 श्री अवनीश खन्ना द्वारा द्वारा प्रस्तुत तथा मा0 महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष स्वीकृत्यर्थ प्रस्तुत :–

दिनांक 24.03.2018 की स्थगित बैठक, जो दिनांक 29.03.2018 को सम्पन्न हुई थी, में टेबुल प्रस्ताव संख्या– 13 से श्री सत्यनारायण मिश्र, आशुलिपिक (सेवानिवृत्त) को नगर निगम में आशुलिपिक की स्थायी नियुक्ति होनें तक मा0 सदन/कार्यकारिणी समिति की बैठकों की कार्यवाही (रिपोर्टिंग) तैयार करने हेतु रू0 15,000/– (रूपया पन्द्रह हजार) का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया था, परन्तु सेवा प्रदाता कम्पनी के माध्यम से रू0 10,000/– (रू0 दस हजार) प्रतिमाह ही दिया जा रहा है। वर्तमान की मंहगाई एवं तकनीकी योग्यता के दृष्टिगत सेवा प्रदाता कम्पनी के माध्यम से नगर निगम कार्यहित में रू0 रू0 15,000/– (रूपया पन्द्रह हजार) दिलवाने हेतु प्रस्ताव स्वीकृत्यर्थ प्रस्तुत है।

नगर आयुक्त ने कहा कि सेवा प्रदाता कम्पनी के माध्यम से सेवायें दे रहे सभी कर्मियों का पारिश्रमिक बढ़ाना चाहता हूँ। वर्तमान में सेवा प्रदाता कम्पनी के माध्यम से 112 माली उद्यान विभाग, 54 चतुर्थ श्रेणी कर्मी केयर टेकर विभाग, 53 कम्प्यूटर आपरेटर, 09 कम्प्यूटर एकाउन्टेन्ट, 06 बॉबकैट चालक, 23 चालक, रबिश विभाग के 20 कर्मी सेवायें दे रहे है। आश्वस्त करता हूँ कि इन सभी कर्मियों के

पारिश्रमिक वृद्धि में प्रतिमाह कितना वित्तीय व्यय भार नगर निगम पर पड़ेगा, इसका आंकलन करते हुये तद्नुसार यथोचित पारिश्रमिक वृद्धि की घोषणा दिनांक 02 अक्टूबर, 2020 को करूँगा।

.... तद्नुसार 02 अक्टूबर, 2020 को सेवाप्रदाता कम्पनी द्वारा सेवायें दे रहे समस्त पद्वार कर्मियों के प्रतिमाह पारिश्रमिक वृद्धि की घोषणा करने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।

<u>प्रस्ताव संख्या –228</u>

श्रीमती सुधा जितेन्द्र सचान मा0 पार्षद वार्ड नं0–77 द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है कार्यकारिणी के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है :–

सादर अवगत कराना है कि वार्ड 77 विश्व बैक बर्रा के अर्न्तगत सेक्टर ।ण्ठण् में एक–एक सेक्टर में लगभग –1200 से 1400 मकान जिसमें हजारो आबादी निवाश करती है। बुजर्ग जनों,नौजवानो एवं बच्चो के लिये शारीरिक व्यायाम हेतु कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है।

कार्यकारिणी समिति से सादर अनुरोध है कि तीनों ब्लाकों में स्थिति पार्को पर एक–एक ओपेन जिम स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें।

.... सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई।

<u>प्रस्ताव संख्या –229</u>

श्री सौरभ देव मा0 पार्षद वार्ड नं0–15 एवं 03 अन्य पार्षद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है कार्यकारिणी के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है :–

विषय :–<u>बजरिया थाने के सामने स्थित नगर निगम की मार्केट का पुनर्निर्माण कराये जाने मा0 कार्यकारिणी समिति हेतु प्रस्ताव।</u>

कृपया बजरिया थाने के सामने नगर निगम की मार्केट है,जो वर्तमान में काफी जर्जर हो गयी है ,जो कभी भी गिर सकती है और जान–माल की हानि हो सकती है। हम पार्षदो का प्रस्ताव है कि बजरिया थाने के स्थित नगर निगम मार्केट को बहुखंडिय रूप में पी0पी0पी0 मॉडल पर पुनर्निर्माण करया जाये ,जिससे उक्त मार्केट के माध्यम से नगर निगम के राजस्व में वृद्धि हो सके।

अतएव बजरिया थाने के सामने स्थित नगर निगम की मार्केट को पी0पी0पी0 मॉडल पर बहुखंडिय रूप में पुनर्निर्माण करये जाने

हेतु मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष स्वीकृत्यर्थ प्रस्तुत है।

श्री दिनेश तिवारी ने कहा की यह बिल्डिंग अत्यंत ही जर्जर है और कभी भी गिर सकती है इसलिए इसका पुनर्निर्माण पी0पी0पी0 मॉडल पर कराया जाये। अन्यथा कभी भी जान–माल की क्षति हो सकती है जिससे नगर निगम की बदनामी होगी।

श्री राशिद महमूद ने कहा की पहले भी कई प्रस्ताव पी0पी0पी0 मॉडल के स्वीकृति किये गए परन्तु कोई पालिसी ना होने की वजह से क्रियान्वित नही हो पाए।

श्री सुहेल अहमद ने नगर निगम अधिनियम 1959 संशोधन 2009 के अनुसार नियम–137 ए में प्राईवेट पार्टरशिप द्वारा पुर्ननिर्माण कराया जा सकता है।

.... **सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई।**

<u>प्रस्ताव संख्या –230</u>

श्रीमती निर्मला मिश्रा,वार्ड–27 मा0 पार्षद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है कार्यकारिणी के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है :–

विषय :–<u>वार्ड–27 राधामाधव नगर नानकारी के सामने पार्क का नाम रतन वाटिका का नाम देने के सम्बन्ध में।</u>

रतन जी बहुत बड़े समाज सेवी थे। स्वतन्त्रता सेनानी थे हम सभी की ईच्छा है कि पार्क का नाम रतन वाटिका रख दिया जाये।

समस्त क्षेत्रवासियों की मॉग हैं।

.... **सन्दर्भित स्थल के पार्क का नामकरण <u>"रतन वाटिका"</u> किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।**

<u>प्रस्ताव संख्या –231</u>

श्री अर्पित यादव ,वार्ड–45 मा0 पार्षद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है कार्यकारिणी के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है :–

विषय :–<u>चौ0 राम गोपाल चौराहे पर दुकानें बनाये जाने हेतु।</u>

सादर अवगत कराना है कि वार्ड–45 चौ0 राम गोपाल चौराहे के समीप खाली पड़ी जगह पर दुकानें बनवाने का प्रस्ताव दे रहा हूँ।

कृपया अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें। नगर निगम की आय में वृद्धि होगीं।

.... स्वीकृति प्रदान की गई।

<u>प्रस्ताव संख्या –232</u>

श्री दिनेश तिवारी ,वार्ड–46 मा0 पार्षद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है कार्यकारिणी के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है :–

आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि हमारे वार्ड–46 यशोदा नगर पूर्वी में महेन्द्रा पैलेस के पास के चौराहे का नाम अटल चौक कर दिया जाये व उसका सुन्दरीकरण करवा दिया जायें। महान दया होगीं।

.... स्वीकृति प्रदान की गई।

<u>प्रस्ताव संख्या –233</u>

श्री राघवेन्द्र मिश्रा,वार्ड–91 एवं 06 अन्य पार्षद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है कार्यकारिणी के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है :–

विषय :–<u>मृत घरेलु व आवारा जानवरों के लिये विद्युत शव दाह गृह बनवाने के सन्दर्भ में।</u>

मा0 कार्यकारिणी को अवगत कराना है कि कानपुर नगर निगम प्रदेश का सबसे बड़ा नगर निगम है। प्रायः यह देखने में आ रहा है कि शहर में किसी भी जानवर के मरने पर उसे हटाने की जिम्मेदारी नगर निगम बखूबी निभा रहा है। साथ घरेलु जानवर के मृत हो जाने पर भी जनता द्वारा यह अपेक्षा रहती है कि उसे नगर निगम हटाये,जहॉ तक अनुभव आया है कि उसे भी नगर निगम का कर्मचारी ही हटाता है।

यहॉ यह अवगत कराना है कि मृत जानवारों को या तो किसी नाले में फेका जाता है या तो हाई वे जिससे दुर्घटना के साथ–साथ पर्यावरण भी दूषित होता है। साथ बड़े जानवरों को स्लाटर हाऊस में बेच दिया जाता है। जिससे नगर निगम को भी राजस्व के रूप में कुछ प्राप्त नहीं होता हैं

अस्तु उपरोक्त प्रस्ताव इस आशय से प्रेषित है कि मृत आवारा/घरेलु जानवरों के लिये विद्युत शव दाह गृह बने जिससे घरेलु जानवरो को उठाने के लिये सुविधा शुल्क लिया जाए,साथ ही तमाम जानवरों की हडड्डीयों से भी नगर निगम को राजस्व प्राप्त होगा तथा उपरोक्त कारणों से दुर्घटना के साथ–साथ पर्यावरण को भी दूषित होने से बचाया जा सकता हैं। मा0 कार्यकारिणी से आग्रह है कि उपरोक्त प्रस्ताव को पारित करने का कष्ट करें।

नगर आयुक्त ने कहा कि सॉलिडवेस्ट मैनेजमेन्ट के तहत 15वें वित्त आयोग के अन्तर्गत निविदा प्रक्रिया के माध्यम से कराया जायेगा।

.... **तद्नुसार स्वीकृति प्रदान की गई।**

प्रस्ताव संख्या –234

सरदार अजीत सिंह छाबड़ा,क्षेत्रीय अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा ,भारतीय जनता पार्टी कानपुर बुन्देलखण्ड–उ0प्र0 द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है कार्यकारिणी के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है :–

विषय :–गोविन्द नगर स्थित नन्दलाल चौराहा का नाम सिक्ख समाज के छठे गुरू "श्री हरि कृष्ण साहब" चौराहा घोषित कर उस चौराहे को भव्य बनाने की जिम्मेदारी सिक्ख संस्था "दशमेष रणजीत नगाड़ा" को दिये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव के सन्दर्भ में।

गोविन्द नगर सिक्ख बाहुल्य क्षेत्र हैं। यहा देवीदास आर्य चौक के समीप चौराहा जिसको हम नन्द लाल चौराहा बोलते है। यह चौराहा छठे गुरू श्री हरि कृष्ण साहब के नाम से घोषित करने का प्रस्ताव नगर निगम कार्यकारिणी के पास करने की कृपा करें।

श्री हरि कृष्ण साहब आज से 400 वर्ष पूर्व भी देश में महामारी फैली थी तब उन्होनें देश वासियों को उस महामारी से बचाया था सिक्ख समाज ही नहीं हर धर्म के लोगो में उनकी विशेष आस्था है।

.... **परीक्षणोंपरान्त नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।**

प्रस्ताव संख्या :–235

पत्र संख्या– 115/सी0सी0/एफ/20–21 **दिनांक :– 15.09.20**

कार्यालय कार्यकारिणी समिति हेतु

कार्यालय पत्र संख्या........................ दिनांक ....को अधिनियम की धारा ....के अर्न्तगत सूचनार्थ पढ़ना/स्वीकृति प्रदान करना/स्वीकृति हेतु नगर निगम से अनुशंसा प्रदान करना–

प्रस्ताव

सम्पूर्ण देश में कोविड–19 जैसे महामारी के कारण कानपुर शहर में भी कोविड–19 के कारण हो रही मौतो को दृष्टिगत रखते हुये नगर निगम कानपुर कानपुर द्वारा एक नग रोगी/शव वाहन की क्रयदारी करने के निर्णय के परिपेक्ष्य में नगर आयुक्त महोदय एवं मा0 महापौर जी द्वारा दिनांक 25.08.2020 को स्वीकृति प्रदान की गई है। जिसमें अनुमानित रूप से रूपया 13.90 से रूपया 18.90 लाख के मध्य व्यय होने की सम्भावना है। वाहन की क्रयदारी जैम पोर्टल के माध्यम से की जा रही है। जिसकी क्रयदारी हेतु मा0 कार्यकारिणी/सदन की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव सादर प्रस्तुत है।

मा0 कार्यकारिणी/सदन के स्वीकृतार्थ प्रस्ताव सादर प्रेषित है।

.... तद्नुसार स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रस्ताव संख्याः–236

लैव टेस्टिंग की दरें बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में नगर आयुक्त द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है कार्यकारिणी के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है :–

प्रस्ताव

विषय :– जल परीक्षण शुल्क बढ़ाने व संक्रमित पेयजल पर जुर्माना लागू करने हेतु।

(1). कानपुर नगर निगम की जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला (स्वास्थ्य विभाग) में कानपुर शहर के सभी विद्यालयों, प्रतिष्ठानों, फैक्ट्रियो तथा उन सभी स्थानों का जहां 20 कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, उनके पेयजल का परीक्षण किया जाता है जिसमें रासायनिक एवं जीवाणु परीक्षण सम्मिलित है। इन दोनों परीक्षणों का यू.पी. फैक्ट्रीज रूल्स 1950 चैप्टर IIIrd रूल 38 (3) के अन्तर्गत 35 रूपये मात्र सुनिश्चित

किया गया था जो वर्तमान में भी 35 रूपये ही लिया जा रहा हैं।

70 वर्ष पूर्व जो रसायन जिस कीमत में मिलते थे वो आज 60 गुना ज्यादा कीमत में मिल रहे हैं। अतः जो शुल्क 70 वर्ष पूर्व निर्धारित हुआ था वह मंहगाई को देखते हुए वर्तमान में उसी नियमानुसार वढ़ाया जाना चाहिए जैसे कि अन्य विभागों (आई0आई0टी0 कानपुर द्वारा रू0 32000/– प्रति सैम्पल एवं एच0बी0टी0आई0 द्वारा रू0 लगभग 24000/– प्रति सैम्पल)में किया जा चुका है, 70 वर्ष पूर्व रसायनों के मूल्य व वर्तमान मूल्य इस प्रकार है।

क्र0 सं0	रसायनो के नाम	मात्रा	40 वर्ष पूर्व कीमत (रूपया)	वर्तमान मूल्य (रूपया)
1	Sulphuric Acid	2.5l	109.50	2200.00
2	Hydrochloric Acid	2.5l	71.70	1800.00
3	Agar agar	500gm	355.00	5500.00
4	E.D.T.A.	500gm	17.00	959.00
5	Iodine	500gm	41.00	600.00
6	Methyl Orange	500gm	27.90	800.00
7	Phenophthelene Indicator	500gm	27.00	720.00
8	Pottassium chromate	500gm	39.00	1308.00
9	Silver Nitrate	25gm	155.00	6700.00
10	Potassium Iodide	500gm	20.50	8372.00
11	Ammonia Solution	500gm	12.70	252.00
12	Universal Indicator(PH)	500gm	14.50	360.00
13	Sodium Thiosulphate	Pack	14.90	732.00
14	Peptone	500gm	215.00	3888.00

उपरोक्त कुछ रसायनों के मूल्यों के विवरण को देखते हुए 70 वर्ष पूर्व के मूल्य व वर्तमान मूल्य में लगभग 60 गुना की बढ़ोत्तरी हुई है।

अतः मंहगाई दर व रसायनों के मूल्यों को देखते हुए नगर निगम द्वारा परीक्षण शुल्क लगभग रू0 7000 प्रति सैम्पल किया जाना

विभागीय हित में आवश्यक है।

(2). कानपुर नगर निगम द्वारा पेयजल के नमूनों की जांच नगरीय स्तर पर स्वास्थ्य विभाग की जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला में की जाती है एवं इसके अन्तर्गत नगर में स्थित विद्यालयों, होटलों, कारखानो, आइक्रीम उद्योग व अन्य स्थानों पर जहां से जनता द्वारा पीने का पानी का उपयोग किया जाता है, में पेयजल का विसंक्रमण (क्लोरिनेशन) अनिवार्य है। पेयजल का विसंक्रमण इस प्रकार किया जाना चाहिए कि पेयजल में एफ0आर0सी0 (फ्री रेजिडियुअल क्लोरीन) की मात्रा 0.2mg/l बनी रहे जो स्वास्थ्य की दृष्टि से वर्तमान व आने वाली गर्मी व बारिश के मौसम तथा सम्भावित संक्रामक रोगों की स्थिति को देखते हुए जनहित में हैं।

अतः यदि कोई विद्यालय, होटल, कारखाना आदि संचालक अपने कर्मचारियों व विद्यालयों में बच्चों के द्वारा उपयोग किये जा रहे पेयजल का विसंक्रमण नहीं करता है इस स्थिति में उन पर दण्डनीय जुर्माना लागू किया जाना चाहिये।

.... उपरोक्तानुसार जल परीक्षण शुल्क वृद्धि एवं संक्रमित पेयजल पर अर्थदण्ड वसूलने की स्वीकृति प्रदान करते हुये सदन को अग्रसारित किया गया।

प्रस्ताव संख्या–237

लान बुकिंग की दरे बढ़ाने के सम्बन्ध में सम्पत्ति विभाग का प्रस्ताव नगर आयुक्त, द्वारा अनुमोदित जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है मा0 कार्यकारिणी के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

–: प्रस्ताव :–

विषयः– नगर निगम के बडे लानो के किराये वृद्वि के सम्बन्ध में ।

कृपया अवगत कराना हैं कि नगर निगम के अन्तर्गत बडे लानो मोतीझील लान नं0 1,2,व 3 का लान किया दिनांक 01.01.2012 मे नगर आयुक्त महोदय द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी (प्रति संलग्न) काफी समय से लान किराये की दरो मे वृद्वि नही हुई है। लान किराये की वृद्वि किये जाने हेतु प्रस्ताव मां0 कार्यकारिणी समिति के स्वीकृतार्थ प्रस्तुत है।

वैवाहिक कार्यक्रम

मद	वर्तमान दर रूपये मे	प्रस्तावित दर रूपये में
कार्यक्रम हेतु शुल्क रू0 प्रतिदिन	रू0 25000/–	रू0 50,000/–
सफाई हेतु शुल्क (एक बार)	रू0 2,000/–	रू0 4,000/–
जी0एस0टी0 (18 प्रतिशत)	रू0 4860/–	रू0 9,720/–
जमानत	रू0 2,000/–	रू0 4,000/–

योगः—	रू0 33,860/—	रू0 67,720/—
सामान लगाने व हटाने हे एक दिन का शुल्क रू08,000/—एव उससे अधिक दिवसो हेतु रू0 12,500/— प्रतिदिन कि दर से जी0एस0टी0 रू0 18 प्रतिशत अलग से देय होगा।		सामान लगाने व हटाने हे एक दिन का शुल्क रू016,000/—एव उससे अधिक दिवसो हेतु रू0 25,000/— प्रतिदिन कि दर से जी0एस0टी0 रू0 18 प्रतिशत अलग से देय होगा।

<u>व्यवसायिक कार्यक्रम</u>

मद	वर्तमान दर रूपये मे	प्रस्तावित दर रूपये में
कार्यक्रम हेतु शुल्क रू0 प्रतिदिन	रू025000/—	रू0 50,000/—
सफाई हेतु शुल्क (एक बार)	रू0 3,000/—	रू0 6,000/—
पार्किंग शुल्क (प्रतिदिन)	रू0 3,000/—	रू0 6,000/—
जी0एस0टी0 (18 प्रतिशत)	रू0 5,580/—	रू0 11,160/—
जमानत	रू0 8,000/—	रू0 16,000/—
योगरू0	रू0 44,580/—	रू0 89,160/—
सामान लगाने व हटाने हे एक दिन का शुल्क रू0 8,000/—एव उससे अधिक दिवसो हेतु रू0 12,500/— प्रतिदिन कि दर से जी0एस0टी0 रू0 18 प्रतिशत अलग से देय होगा।		सामान लगाने व हटाने हे एक दिन का शुल्क रू016,000/—एव उससे अधिक दिवसो हेतु रू0 25,000/— प्रतिदिन कि दर से जी0एस0टी0 रू0 18 प्रतिशत अलग से देय होगा।

<u>धार्मिक कार्यक्रम</u>

मद	वर्तमान दर रूपये मे	प्रस्तावित दर रूपये में
कार्यक्रम हेतु शुल्क रू0 प्रतिदिन(65 प्रतिशत छूट)	रू0 8,750/	रू0 17,500/—
सफाई हेतु शुल्क (एक बार)	रू0 3,000/—	रू0 6,000/—
जी0एस0टी0 (18 प्रतिशत)	रू0 2,115/—	रू0 4,230/—
जमानत	रू0 8,000/—	रू0 16,000/—

योगरू0	रू0 21,865/–	रू0 43,730/–
सामान लगाने व हटाने हे एक दिन का शुल्क रू0 2,000/–एव उससे अधिक दिवसो हेतु रू0 3,000/– प्रतिदिन कि दर से जी0एस0टी0 रू0 18 प्रतिशत अलग से देय होगा।		सामान लगाने व हटाने हेतु एक दिन का शुल्क रू0 4,000/–एव उससे अधिक दिवसो हेतु रू0 6,000/– प्रतिदिन कि दर से जी0एस0टी0 रू0 18 प्रतिशत अलग से देय होगा।

<u>शासकीय कार्यक्रम</u>

मद	वर्तमान दर रूपये मे	प्रस्तावित दर रूपये में
कार्यक्रम हेतु शुल्क रू0 प्रतिदिन	रू012,500/–	रू0 25,000/–
सफाई हेतु शुल्क (एक बार)	रू0 5,000/–	रू0 10,000/–
पार्किंग शुल्क (प्रतिदिन)	रू0 3,000/–	रू0 6,000/–
जी0एस0टी0 (18 प्रतिशत)	रू0 3,690/–	रू0 7,380/–
जमानत	रू0 8,000/–	रू0 16,000/–
योग रू0	रू032,190/–	रू0 64,380/–

उक्त के अतिरिक्त श्री गुरू नानक देव जी की जयंती, श्री गुरू तेग बहादुर शहीदी पर्व एवं श्री गुरू गोविन्द सिंह जी की जयंती हेतु विशेष रियाती दरे वर्तमान में रू0 2,000/– प्रति दिन/प्रति लान की दर से लिया जा रहा है। उक्त कार्यक्रम हेतु रू0 4,000/–प्रतिदिन/प्रति लान की दर से लिया जाना प्रस्तावित है।

.... मोतीझील परिसर स्थित नगर निगम लॉन के किराये की उपरोक्त वर्णित दर मा0 पार्षदों, पूर्व पार्षदों एवं उनके पारिवारिक रिश्तेदार(बेटा/बेटी, भाई/बहन) को वैवाहिक कार्यक्रमों हेतु 50 प्रतिशत की छूट तथा सामाजिक संस्थाओं द्वारा गरीब परिवार के सामूहिक वैवाहिक कार्यक्रमों हेतु केवल सफाई का चार्ज लेने की स्वीकृति के साथ सदन को अग्रसारित किया गया। मा0 सदन की स्वीकृति की प्रत्याशा में दिनांक 18.09.2020 के उपरान्त नई बुकिंग पर प्रभावी होगा। नगर निगम अन्तर्गत समस्त बड़े लॉनो की दो माह से अधिक की बुकिंग पर मा0 महापौर जी द्वारा स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

<u>प्रस्तवाव सं0:–238</u>

प्रोफेसर डा0 मीरा अग्निहोत्री प्रोफेसर एण्ड हेड जी0एस0वी0एम0 मेडिकल कालेज (ई0एक्स0) नगर आयुक्त, द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर मा0 कार्यकारिणी के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

Subject:-'Naming "Dr.R.C. Aginhotri Crossing" at 7/199 Swaroop Nagar.

Kanpur is proud to have the First ever any Private Blood Bank in state of Uttar Pradesh estblished in 1964 (more than 5 decades back) by Legend and Pioneer Dr. R.C. Agnihotri.

This is to bring to your kind notice that Dr.R.C. Agnihotri owner of Universal Patholgy Laboratiry& Blood Bank & Owner of Jeevani Hospital (c/o Kanpur Nursingh Home Pvt Ltd.) 7/199Swaroop Nagar, Kanpur is successfully Catering,Blood to Ailing Humanity,Medical and Health Sevices and not only to Kanpur but whole of the U.P. and even the country. He is the Pioneer of Blood Bank,

First ever any private blood Bank (Registered by Government) in the State of Uttar Pradesh establish in the Year 1964 more than 5 decades. we also had a Blood Bank in Lucknow.

Our Blood Bank and jeevani Hospital both are recognized by the Government. The illustrious History of our Medical and Health Services are duly recognized. kindly allow us to decorate this crossing 7/199 Swaroop nagar Kanpur ornamented with his name " Dr.R.C. Agnihotri Crossing".

.... 7/99 स्वरूप नगर क्रॉसिंग को डा0 आर0सी0 अग्निहोत्री क्रॉसिंग के नामकरण की स्वीकृति प्रदान की गई।

<u>प्रस्ताव संख्या–239</u>

परेड रामलीला ग्राउन्ड के धार्मिक कार्यक्रमो हेतु निशुल्क आवंटन के सम्बन्ध में नगर आयुक्त द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

<u>प्रस्ताव</u>

<u>विषय :–रामलीला परेड ग्राउन्ड धार्मिक कार्यक्रमो हेतु निशुल्क आवंटन किये जाने के सम्बन्ध में।</u>

कृपया आपके संज्ञान में लाना है कि कानपुर नगर निगम के अर्न्तगत परेड ग्राउन्ड में परम्परागत रूप से धार्मिक कार्यक्रम रामलीला,दशहरा मेला,इस्लामिक जलसे आयोजित होते रहे है। जिनका आवंटन पूर्वकाल से निःशुल्क किया जाता रहा है। परेड ग्राउन्ड रामलीला मैदान नजूल प्लाट सं0 6 ब्लाक सं0 37 पर स्थित है ,जिसका कुछ भाग धार्मिक कार्यक्रमो हेतु नगर निगम को स्थानान्तरित किया गया है।

अतः परेड रामलीला ग्राउन्ड मे धार्मिक कार्यक्रम हेतु नियत स्थान पर पूर्व की भॉति निशुल्क आवंटन की अनुमति प्रदान किये जाने हेतु प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी समिति के विचारार्थ/स्वीकृतार्थ प्रस्तुत है।

.... धार्मिक आयोजनों हेतु निःशुल्क स्वीकृति प्रदान करते हुये सदन को अग्रसारित किया गया।

प्रस्ताव संख्या–240

प्रस्ताव

नगर आयुक्त की संस्तुति से प्रभारी अधिकारी ''कार्मिक'' द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है मा0 कार्यकारिणी समिति समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत :–

विषयः–**नगर निगम, कानपुर में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत कम्प्यूटर ऑपरेटर/एकाउण्टेण्ट के पारिश्रमिक धनांक 10000.000 में बढोत्तरी कर धनांक 15000.00 किये जाने के सम्बन्ध में।**

कम्प्यूटर ऑपरेटर/एकाउण्टेण्ट के पद पर लगभग 05 वर्षों से रू0–8045/– वेतन पर नगर निगम, कानपुर में पूर्ण निष्ठा के साथ अपने कार्यों एवं दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। विगत वर्षों में हुई महंगाई वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुये रू0 10000/– में परिवार का भरण पोषण करने में असुविधा हो रही है। प्रमुख सचिव, समाज कल्याण अनुभाग–3 में निदेशक, समाज कल्याण उ0प्र0 लखनऊ के आदेश सं0–957/26–02–2019 दिनांक 31 मई, 2019 द्वारा समाज कल्याण विभाग में, अल्पसंख्यक कल्याण एव वक्फ अनुभाग–3 उ0प्र0 शासन के पत्र सख्या–2255/52–3–2018 के द्वारा अल्पसंख्यक कल्याण एव वक्फ विभाग में, लोक निर्माण विभाग लखनऊ के पत्रांक–309/एस0वृत्त/2018–19 दिनांक–15, जनवरी–2019 के क्रम में कार्यालय ज्ञाप संख्या–1061/डब्लू0सी0एस0वृत्त/2018 दिनांक–16.02.2018 द्वारा लोक निर्माण विभाग में धनांक 18000.00 प्रतिमाह आउटसोर्स कम्प्यूटर आपरेटरो को भुगतान किया जा रहा है।

उपरोक्त के अतिरिक्त लखनऊ नगर निगम द्वारा मा0 कार्यकारिणी समिति को प्रेषित प्रस्ताव संकल्प संख्या 159 के अनुसार एक कम्प्यूटर आपरेटर/लिपिक/पुस्तकालय इंचार्ज का पारिश्रमिक धनांक रुपया 18000.00 स्वीकृत किया गया है जिसकी छायाप्रति सुलभ

सन्दर्भ हेतु साथ में संलग्न है।

उपरोक्त समस्त के दृष्टिगत नगर निगम, कानपुर के समस्त आउटसोर्स कम्प्यूटर आपरेटरो को धनांक 15000.00 प्रतिमाह पारिश्रमिक एवं उस पर 13 प्रतिशत ई0ई0पी0एफ0,3.25 प्रतिशत ई0ई0एस0आई0 एवं 02 प्रतिशत सर्विस चार्ज की धनराशि सम्मलित करते हुये कुल धनांक 17787.00 प्रतिमाह सेवा प्रदाता कम्पनी को भुगतान किये जाने की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

.... **उपरोक्त के सम्बन्ध में प्रस्ताव सं0–227 पर निर्णय लिया जा चुका है।**

प्रस्ताव संख्या–241

श्री अनूप कुमार शुक्ला मा0 पार्षद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है कार्यकारिणी के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है :–

सादर अवगत कराना है कि कानपुर शहर में स्वच्छ पेयजल की काफी समस्या है। आये दिन अखवरो में गन्दे पानी एवं प्रदूषित पानी की खबरे प्रकाशित होती है।

अतः हमारा सुझाव है कि जहॉ पर पानी की समस्या है वहॉ पर पी0पी0पी0 माडल से वाटर ए0टी0एम0 लगाये जाने हेतु अनुमति प्रदान जनहित में करें।

.... **समिति गठित कर आवश्यकतानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान करते हुए मा0 सदन को अग्रसारित किया जाये।**

प्रस्ताव संख्या–242

श्री नवीन पण्डित ,वरिष्ठ पार्षद वार्ड–93 व श्री अनूप शुक्ला मा0 पार्षद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है कार्यकारिणी के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है :–

अवगत कराना है कि नरेन्द्र मोहन सेतु पर दैनिक जागरण समूह स्वच्छ भारत का ग्लो साइन बोर्ड नगर निगम के नाम अंकित करते हुये लगाना चाहता है। प्रस्ताव निर्गत करने का आदेश निर्गत करे। मै कार्यकारिणी का आभारी रहूॅगा। इस पर कोई अन्य विज्ञापन नही होगा।

.... **तद्नुसार स्वीकृति प्रदान की गई।**

प्रस्ताव संख्या–243

श्री अनूप कुमार शुक्ला,वार्ड–88 मा0 पार्षद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है कार्यकारिणी के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है :–

सादर अवगत कराना है कि समय–समय पर अखबारो द्वारा प्रकाशित खबरो से पता चलता है कि एक ही रोड के डबल भुगतान कर दिये जाते है जिस न सिर्फ नगर निगम की हम सबको छबि खराब होती है।

अतः आपसे निवेदन है कि कार्यकारिणी के माध्यम से सभी रोड एवं गलियो को यूनिक नम्वरिंग की जाये और निविदायो में स्पष्ट रोड इन नम्बरो को प्रर्दशित किया जाये।

…………………. **स्वीकृति प्रदान करते हुए एक माह में कार्यवाही कर मा0 कार्यकारिणी समिति को अवगत कराया जाये।**

प्रस्ताव संख्या–244

श्रीमती आरती विजय गौतम,वार्ड–09 मा0 पार्षद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है कार्यकारिणी के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है :–

विषयः– बरातशाला व कम्यूनिटी सेंटर बनवाने के सन्दर्भ में।

सादर अवगत कराना चाहती हूँ कि जोन–5 के अर्न्तगत वार्ड–9 गुजैनी गॉव में सामुदायिक शौचालय के पीछे नगर निगम की लगभग 2 हजार वर्ग गज की भूमि पर भूमाफिओं ने कब्जा कर भैसे पाल रखी है। पूरा वार्ड आबादी बाहुल्य क्षेत्र है व पूरे वार्ड एक भी बरातशाला व कम्यूनिटी सेंटर नही है। पूर्व मे लगभग 15–20 वर्ष पूर्व यहॉ पर बरातशाला प्रस्तावित था व कुछ कार्य भी करवाया गया था परन्तु किसी कारण वश नही हो पाया। अब उक्त भूमि पर लोगो ने कब्जा कर रखा है।

अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि उक्त जमीन पर क्षेत्रवासियों के लिये बरातशाला व कम्यूनिटी सेंटर बनवाने की कृपा करें।

…………………. **नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 135 में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही किये हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।**

प्रस्ताव संख्या–245

श्री अनूप कुमार शुक्ला,वार्ड–88 मा0 पार्षद एवं श्री नवीन पण्डित मा0 पार्षद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है कार्यकारिणी के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है :–

सादर अवगत कराना है कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा स्वच्छता के अन्तर्गत स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है। इसी कम को आगे बढ़ाते हुये और आपसे प्रेरणा लेते हुये हम सब पार्षदो का सुझाव है कि हर वार्ड मे वीट लिस्ट को प्रर्दशित किया जाये एवं कर्मचारियो के नाम एवं मोबाइल नं0 अंकित किया जाये। साथ में स्वच्छता निरीक्षक एवं जोनल स्वास्थ्य अधिकारी का मोबाइल नम्बर अंकित किया जायें।

.... स्वीकृति प्रदान करते हुए एक माह में कार्यवाही कर मा0 कार्यकारिणी समिति को अवगत कराया जाये।

प्रस्ताव संख्या–246

श्री अवनीश खन्ना,वार्ड–10 मा0 पार्षद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है कार्यकारिणी के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है :–

निवेदन है कि स्व0 अर्जुनदास खत्री राष्ट्रीय स्वंय सेवक संघ के पूर्व संघचालक थें। आप बहुत बड़े समाजसेवी तथा कई विद्यालयों के प्रबन्धक थे। आभा नर्सिग होम से रेव थ्री चौराहे तक सड़क का नाम तथा चौराहे का नाम स्व0 अर्जुनदास खत्री मार्ग करने का कष्ट करे।

.... स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रस्ताव संख्या–247

श्री अनूप कुमार शुक्ला,वार्ड–88 मा0 पार्षद एवं श्री नवीन पण्डित मा0 पार्षद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है कार्यकारिणी के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है :–

विषय :–कानपुर दक्षिण धरीपुरवा राम लीला मैदान नौबस्ता में कुल गुरू महर्षि बाल्मीकि जी की प्रतिमा नगर निगम द्वारा लगाये जाने के सम्बन्ध में।

आपको अवगत कराना चाहते है कि महर्षि बाल्मीकि जी का जन्मोत्सव मेला एवं सामूहिक विवाह का कार्यक्रम धरीपुरवा राम लीला मैदान नौबस्ता में किया जाता है जिसमें हजारो बाल्मीकि समाज के लोग इकट्ठा होते हैं। बाल्मीकि समाज उत्थान समिति ने कुल गुरू महर्षि बाल्मीकि जी की प्रतिमा नगर निगम द्वारा लगवाने के लिये निवेदन किया है,क्योकि महर्षि बाल्मीकि जी प्रतिमा कानपुर दक्षिण में कही नहीं है,जिससे बाल्मीकि समाज को प्रतिमा न होने के कारण पूर्जा अर्चना सही से नही हो पाती हैं।

अतः निवेदन है कि कुलगुरू महर्षि बाल्मीकि की प्रतिमा राम लीला मैदान धरीपुरवा नौबस्ता कानपुर में लगाये जाने की अनुमति

कार्यकारिणी में प्रस्ताव पास करने की कृपा करे,जिससे बाल्मीकि समाज हर्षोल्लास के साथ जन्मोत्सव मेला व सामूहिक विवाह पूजा पाठ कर सके।

.... माननीय सर्वोच्च न्यायालय तथा शासनादेश के आलोक में विधिक राय के अनुसार कार्यवाही किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।

<u>प्रस्ताव संख्या–248</u>

श्री रमेश चन्द्र हठी,वार्ड–01 मा0 पार्षद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है कार्यकारिणी के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है :–

आपसे निवेदन है कि पूर्व में नगर निगम द्वारा पट्टे पर मोतीझील कैम्पस में कैन्टीन और दुकान बनायी गई थी और वह पट्टे अब निरस्त हो चुके है। परन्तु पूर्व आवंटियों द्वारा अवैध रूप से इस्तेमाल किया जा रहा है। जिसमें शासनादेश सं0 3136 (1) नौ–7–200/दि0 2ह020 संलग्न है।

अतः उक्त शासनादेश का पालन कराया जाना सुनिश्चित करें तथा आवंटित स्थल के विकास की योजना तैयार कर अगली कार्यकारिणी की बैठक में प्रस्तुत करें।

सभापति ने कहा कि पूर्व आवंटियों को नोटिस देकर खाली कराये जाने की कार्यवाही कराई जाये, साथ ही मा0 न्यायालय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में कैविएट भी दाखिल कराई जाये, जिससे एक पक्षीय स्टे आर्डर न पारित हो पाये।

.... तद्नुसार कार्यवाही किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।

<u>प्रस्ताव संख्या–249</u>

श्री अरविन्द यादव,वार्ड–69 मा0 पार्षद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है कार्यकारिणी के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है :–

विषय :–कार्यकारिणी प्रस्ताव हेतु।

अवगत कराना है कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत कानपुर महानगर को स्वच्छ व साफ सुथरा रखने के लिये किये जा रहे मा0 महापौर जी द्वारा चलाए जा रहे प्रत्येक वार्ड में स्वच्छता अभियान को दृष्टिगत रखते हुए आपके समक्ष कुछ सुझाव प्रस्तुत कर रहा हूँ

जिससे कानपुर महानगर को स्वच्छ रखने में निश्चित रूप से सहयोग मिलेगा। मेरे प्रस्ताव/सुझाव निम्नवत् हैः–

1. प्रातः प्रतिदिन नगर निगम द्वारा सफाईकर्मी के साथ ही नगर निगम के सहयोग से जे0टी0एन0 द्वारा डोर–टू–डोर कूड़ा उठाने की समुचित व्यवस्था की गई है फिर भी नगर निगम कर्मी द्वारा सफाई के बाद जनता द्वारा सड़क व सर्विस लेन में कूड़ा फेंक दिया जाता है ऐसे व्यक्ति के खिलाफ सफाई इन्सपेक्टर के द्वारा 200–500 तक जुर्माना तत्काल वसूली की जाय। वार्ड में जे0टी0एन0 की गाड़िया प्रतिदिन न आने पर जे0टी0एन0 पर भी प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना 5000/–रू0 वसूला जाये व टेण्डर निरस्त की कार्यवाही की जायें

2. मकान निर्माण का मलवा घर के सामने आदि सड़क एवं फुटपाथ पर इक्ट्ठा करने वाले व्यक्ति के खिलाफ प्रतिदिन 500 से 1000 तक जुर्माना तत्काल वसूला जाय।

3. नगर निगम फुटपाथ पर ट्रक /लोडर आदि बनाने व बाडी मेकिंग का कार्य करने से यातायात बाधित होता है इनसे भी प्रति ट्रक रू 10000 से 20000 तक जुर्माना वसूला जायें।

4. शराब की दुकान के बाहर फुटपाथ पर अवैध रूप से मोटर साइकिल व कारे खड़ी होने पर यातायात बाधित होता है तो शराब दुकानदार से 1000से 2000 तक से जुर्माना वसूला जायें।

5. जिन दुकानो के बाहर फुटपाथ पर घेरकर अपना सामान लगा रखा है व सामान रखकर कब्जा किया है उनसे भी प्रतिदिन 2000रू के हिसाब से जुर्माने की वसूली की जाय।

6. जिन प्राइवेट स्कूलों व गेस्ट हाउस के बाहर फुटपाथ पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है व पार्किग बना रखी है उनसे 5000 रू0 तक तक जुर्माना वसूला जायें।

उपरोक्त दिये गये छः सुझावों/प्रस्तावों मे क्षेत्रीय पार्षदो एवं नगर निगम के इन्सपेक्टर व अधिकारियों द्वारा जियो मैप से स्थल की फोटो खीच कर दिये जाने पर नगर निगम तत्काल कार्यवाही करें,वसूली न करने पर नगर निगम जोनल कर्मचारियों एवं अधिकारियों पर कार्यवाही की जाय। जिससे कि नगर निगम की आय में बढ़ोत्तरी होगी और साथ ही महानगर को स्वच्छ एवं सुन्दर बनाया जा सकेगा।

नगर आयुक्त ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के मलबे पर निर्धारित अर्थदण्ड वसूलने के साथ ही इसे पनकी स्थित प्लान्ट ले जाकर

इण्टरलॉकिंग बनाने का प्रयास किया जायेगा। सार्वजनिक स्थलों के अतिक्रमण पर निर्धारित दरों से यूजर चार्ज वसूला जायेगा।

.... तद्नुसार सार्वजनिक स्थलों के अतिक्रमण से नियमों के तहत तत्काल यूजर चार्ज जुर्माना वसूले जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रस्ताव संख्या–250

श्री दुर्गा प्रसाद गुप्ता,वार्ड–63 मा0 पार्षद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है कार्यकारिणी के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है :–

आग्रह है कि 18.09.20 को होने वाली कार्यकारिणी मे हमारे प्रस्तावों को सम्मिलित करने का कष्ट करें–

1–पवन तनय इण्टर कालेज के पीछे एक नये पार्क का निर्माण अपनी पार्षद निधि से कराया है जिसका क्षेत्रीय जनता से आम सहमति से पार्क का नाम (देवी पार्वती) पार्क किया गया है। 2– मेरे निवास के पीछे पार्क का नाम (शहीद पार्क) रखने का कष्ट करें।

........................नगर आयुक्त को नियमानुसार कार्यवाही हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।

सभापति को हस्तगत (टेबुल) प्रस्तावों पर विचार किया जाना

टेबुल प्रस्ताव सं0–251 नगर आयुक्त द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार करना :–

विषय :– नगर निगम पार्किंग स्टैण्डों की दरों की वृद्धि के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराया जाना है कि कानपुर नगर निगम पार्किंग के सम्बन्ध में सरकारी गजट रजिस्टर्ड नं0–ए0डी0–4 लइसेंस सं0 डब्लू0पी0–41 दिनांक 22 जुलाई, 2006 द्वारा लागू किया गया था, जो कि वर्तमान में प्रभावी है, जिसके अनुसार कानपुर नगर निगम सीमान्तर्गत विभिन्न मोहल्लों में वाहनों को प्रकृति के आधार पर क्रमशः दरें व समयावधि निम्नानुसार लगाई गई है :–

(क) स्वरूप नगर, आर्य नगर, माल रोड, नवीन मार्केट, चौक सर्राफा, गुमटी नम्बर–5, मेस्टन रोड, सिविल लाइन्स

क्र.सं.	पार्किंग किये जाने वाले वाहन का प्रकार	शॉपिंग कॉम्पलेक्स, मनोरंजन स्थल के लिये निर्धारित पार्किंग	होटल, नर्सिंगहोम, कोचिंग सेन्टर, मैरिज हॉल, शैक्षणिक संस्थान, कार्यालय अन्य के लिये निर्धारित पार्किंग
1	साइकिल	3.00 रू0 प्रति प्रयोग 2 घण्टे के लिये	2.00 रू0 प्रति प्रयोग 2 घण्टे के लिये
2	स्कूटर, मोटर बाइक, चलित दोपहिया वाहन	5.00 रू0 प्रति प्रयोग 2 घण्टे के लिये	3.00 रू0 प्रति प्रयोग 2 घण्टे के लिये

3	चार पहिया वाहन छोटे श्रेणी जीप, कार, टैक्सी अन्य	15.00 रू0 प्रति प्रयोग 2 घण्टे के लिये	10.00 रू0 प्रति प्रयोग 2 घण्टे के लिये

(ख) प्रथम श्रेणी क्षेत्र के लिये– बिरहाना रोड, नयागंज, कलेक्टरगंज, नई सड़क, हालसी रोड, मूलगंज, परेड, लाटूश रोड, नाचघर, दालमण्डी, कराचीखाना, कोपरगंज, जनरलगंज, काहूकोठी, कुरसवां, नौघड़ा, शिवाला, चुन्नीगंज, कुली बाजार, घुमनी मोहाल, केनाल पटरी, मनीराम बगिया, हर्ष नगर, अशोक नगर, 80 फिट रोड, बेकनगंज, कर्नेलगंज, चमनगंज, ट्रांसपोर्ट नगर, ढकनापुरवा, बाँसमण्डी, विद्यार्थी मार्केट, कौशलपुरी, काकादेव, समस्त ब्लॉक, लापत नगर, फजलगंज, बम्बा रोड, भन्नानापुरवा, गोविन्द नगर समस्त ब्लाक, बी0एस0 मार्केट, चावला मार्केट

क्र.सं.	पार्किंग किये जाने वाले वाहन का प्रकार	शॉपिंग कॉम्पलेक्स, मनोरंजन स्थल के लिये निर्धारित पार्किंग	होटल, नर्सिंगहोम, कोचिंग सेन्टर, मैरिज हॉल, शैक्षणिक संस्थान, कार्यालय अन्य के लिये निर्धारित पार्किंग
1	साइकिल	3.00 रू0 प्रति प्रयोग 4 घण्टे के लिये	2.00 रू0 प्रति प्रयोग 4 घण्टे के लिये
2	स्कूटर, मोटर बाइक, चलित दोपहिया वाहन	5.00 रू0 प्रति प्रयोग 4 घण्टे के लिये	3.00 रू0 प्रति प्रयोग 4 घण्टे के लिये
3	चार पहिया वाहन छोटे श्रेणी जीप, कार, टैक्सी अन्य	15.00 रू0 प्रति प्रयोग 4 घण्टे के लिये	10.00 रू0 प्रति प्रयोग 4 घण्टे के लिये

(ग) द्वितीय श्रेणी क्षेत्र के लिये नेहरू नगर, आनन्द बाग, पी0रोड, गाँधी नगर, रामनारायण बाजार, हरबंश मोहाल, सब्जीमण्डी, कंघी मोहाल, रामकृष्ण नगर, सीसामऊ, नेहरू नगर, ग्वालटोली, रामबाग, प्रेम नगर, किदवई नगर, बारादेवी, सब्जीमण्डी, सरोजनी नगर, दर्शनपुरवा, जरीब चौकी, नारायणपुरवा, शास्त्री नगर, कारवालों नगर, झकरकटी, अनवरगंज, आचार्य नगर, रायपुरवा, रावतपुर, कल्याणपुर, सी–ब्लॉक, विजय नगर

क्र.सं.	पार्किंग किये जाने वाले वाहन का प्रकार	शॉपिंग कॉम्पलेक्स, मनोरंजन स्थल के लिये निर्धारित पार्किंग	होटल, नर्सिंगहोम, कोचिंग सेन्टर, मैरिज हॉल, शैक्षणिक संस्थान, कार्यालय अन्य के लिये निर्धारित पार्किंग
1	साइकिल	3.00 रू0 प्रति प्रयोग 8 घण्टे के लिये	2.00 रू0 प्रति प्रयोग 8 घण्टे के लिये
2	स्कूटर, मोटर बाइक, चलित दोपहिया वाहन	5.00 रू0 प्रति प्रयोग 8 घण्टे के लिये	3.00 रू0 प्रति प्रयोग 8 घण्टे के लिये
3	चार पहिया वाहन छोटे श्रेणी जीप, कार, टैक्सी अन्य	15.00 रू0 प्रति प्रयोग 8 घण्टे के लिये	10.00 रू0 प्रति प्रयोग 8 घण्टे के लिये

(घ) अन्य श्रेणी उपरोक्त प्रथम श्रेणी व द्वितीय श्रेणी में उल्लिखित श्रेणी को छोड़कर शेष अन्य क्षेत्र

क्र.सं.	पार्किंग किये जाने वाले वाहन का प्रकार	शॉपिंग कॉम्पलेक्स, मनोरंजन स्थल के लिये निर्धारित पार्किंग	होटल, नर्सिंगहोम, कोचिंग सेन्टर, मैरिज हॉल, शैक्षणिक संस्थान, कार्यालय अन्य के लिये निर्धारित पार्किंग
		रू0 प्रतिदिन	रू0 प्रतिदिन
1	साइकिल	3.00 रू0	2.00 रू0
2	स्कूटर, मोटर बाइक, चलित दोपहिया वाहन	5.00 रू0	3.00 रू0
3	चार पहिया वाहन छोटे श्रेणी जीप, कार, टैक्सी अन्य	15.00 रू0	10.00 रू0

उपरोक्त दर वर्ष 2006 में लागू हुई थी और तब से इन दरों में कोई वृद्धि नही की गई है जबकि प्राइवेट एवं अन्य विभाग द्वारा अपने पार्किंग की दरों में संशोधन किये गये है, को दृष्टिगत रखते हुये, नगर निगम, कानपुर पार्किंग की निम्नानुसार दरों का प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है :–

(क) स्वरूप नगर, आर्य नगर, माल रोड, नवीन मार्केट, चौक सर्राफा, गुमटी नम्बर–5, मेस्टन रोड, सिविल लाइन्स

क्र.सं.	पार्किंग किये जाने वाले वाहन का प्रकार	शॉपिंग कॉम्पलेक्स, मनोरंजन स्थल के लिये निर्धारित पार्किंग	होटल, नर्सिंगहोम, कोचिंग सेन्टर, मैरिज हॉल, शैक्षणिक संस्थान, कार्यालय अन्य के लिये निर्धारित पार्किंग
1	साइकिल	5.00 रू0 प्रति प्रयोग 2 घण्टे के लिये	4.00 रू0 प्रति प्रयोग 2 घण्टे के लिये
2	स्कूटर, मोटर बाइक, चलित दोपहिया वाहन	15.00 रू0 प्रति प्रयोग 2 घण्टे के लिये	10.00 रू0 प्रति प्रयोग 2 घण्टे के लिये
3	चार पहिया वाहन छोटे श्रेणी जीप, कार, टैक्सी अन्य	30.00 रू0 प्रति प्रयोग 4 घण्टे के लिये	20.00 रू0 प्रति प्रयोग 2 घण्टे के लिये

(ख) प्रथम श्रेणी क्षेत्र के लिये– बिरहाना रोड, नयागंज, कलेक्टरगंज, नई सड़क, हालसी रोड, मूलगंज, परेड, लाटूश रोड, नाचघर, दालमण्डी, कराचीखाना, कोपरगंज, जनरलगंज, काहूकोठी, कुरसवां, नौघड़ा, शिवाला, चुन्नीगंज, कुली बाजार, घुमनी मोहाल, केनाल पटरी, मनीराम बगिया, हर्ष नगर, अशोक नगर, 80 फिट रोड, बेकनगंज, कर्नेलगंज, चमनगंज, ट्रांसपोर्ट नगर, ढकनापुरवा, बाँसमण्डी, विद्यार्थी मार्केट, कौशलपुरी, काकादेव, समस्त ब्लॉक, लापत नगर, फजलगंज, बम्बा रोड, भन्नानापुरवा, गोविन्द नगर समस्त ब्लाक, बी0एस0 मार्केट, चावला मार्केट

क्र.सं.	पार्किंग किये जाने वाले वाहन का प्रकार	शॉपिंग कॉम्पलेक्स, मनोरंजन स्थल के लिये निर्धारित पार्किंग	होटल, नर्सिंगहोम, कोचिंग सेन्टर, मैरिज हॉल, शैक्षणिक संस्थान, कार्यालय अन्य के लिये निर्धारित पार्किंग
1	साइकिल	5.00 रू0 प्रति प्रयोग 4 घण्टे के लिये	4.00 रू0 प्रति प्रयोग 4 घण्टे के लिये
2	स्कूटर, मोटर बाइक, चलित दोपहिया वाहन	15.00 रू0 प्रति प्रयोग 4 घण्टे के लिये	10.00 रू0 प्रति प्रयोग 4 घण्टे के लिये
3	चार पहिया वाहन छोटे श्रेणी जीप, कार, टैक्सी अन्य	30.00 रू0 प्रति प्रयोग 4 घण्टे के लिये	20.00 रू0 प्रति प्रयोग 4 घण्टे के लिये

(ग) द्वितीय श्रेणी क्षेत्र के लिये नेहरू नगर, आनन्द बाग, पी0रोड, गाँधी नगर, रामनारायण बाजार, हरबंश मोहाल, सब्जीमण्डी, कंघी मोहाल, रामकृष्ण नगर, सीसामऊ, नेहरू नगर, ग्वालटोली, रामबाग, प्रेम नगर, किदवई नगर, बारादेवी, सब्जीमण्डी, सरोजनी नगर, दर्शनपुरवा, जरीब चौकी, नारायणपुरवा, शास्त्री नगर, कारवालों नगर, झकरकटी, अनवरगंज, आचार्य नगर, रायपुरवा, रावतपुर, कल्याणपुर, सी–ब्लॉक, विजय नगर

क्र.सं.	पार्किंग किये जाने वाले वाहन का प्रकार	शॉपिंग कॉम्पलेक्स, मनोरंजन स्थल के लिये निर्धारित पार्किंग	होटल, नर्सिंगहोम, कोचिंग सेन्टर, मैरिज हॉल, शैक्षणिक संस्थान, कार्यालय अन्य के लिये निर्धारित पार्किंग
1	साइकिल	3.00 रू0 प्रति प्रयोग 8 घण्टे के लिये	4.00 रू0 प्रति प्रयोग 8 घण्टे के लिये
2	स्कूटर, मोटर बाइक, चलित दोपहिया वाहन	5.00 रू0 प्रति प्रयोग 8 घण्टे के लिये	10.00 रू0 प्रति प्रयोग 8 घण्टे के लिये
3	चार पहिया वाहन छोटे श्रेणी जीप, कार, टैक्सी अन्य	15.00 रू0 प्रति प्रयोग 8 घण्टे के लिये	20.00 रू0 प्रति प्रयोग 8 घण्टे के लिये

(घ) अन्य श्रेणी उपरोक्त प्रथम श्रेणी व द्वितीय श्रेणी में उल्लिखित श्रेणी को छोड़कर शेष अन्य क्षेत्र

क्र.सं.	पार्किंग किये जाने वाले वाहन का प्रकार	शॉपिंग कॉम्पलेक्स, मनोरंजन स्थल के लिये निर्धारित पार्किंग	होटल, नर्सिंगहोम, कोचिंग सेन्टर, मैरिज हॉल, शैक्षणिक संस्थान, कार्यालय अन्य के लिये निर्धारित पार्किंग
		रू0 प्रतिदिन	**रू0 प्रतिदिन**
1	साइकिल	5.00 रू0	4.00 रू0
2	स्कूटर, मोटर बाइक, चलित दोपहिया वाहन	15.00 रू0	11.00 रू0

3	चार पहिया वाहन छोटे श्रेणी जीप, कार, टैक्सी अन्य	30.00 रू0	20.00 रू0

मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ अग्रसारित।

.... सर्वसम्मति से तद्नुसार प्रति साईकिल के लिये रू0 05.00, प्रति मोटर साईकिल के लिये रू0 15.00 तथा प्रति कार के लिये रू0 30.00 पार्किंग शुल्क लिये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान करते हुये मा0 सदन को अग्रसारित की गयी।

टेबुल प्रस्ताव सं0–252

पर्यावरण अभियन्ता द्वारा प्रस्तुत एवं नगर आयुक्त द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार करना :–

सन्दर्भ :– मा0 एन0जी0टी0 द्वारा चिन्हित नॉन अटेनमेंट सिटीज के क्रम में कानपुर नगर हेतु "Air Pollution Micro Action Plan" में निर्धारित बिन्दुओं के अनुपालन हेतु विद्युत चलित वाहनों (E-Vehicle) को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से नगर निगम सीमान्तर्गत संचालित पार्किंग सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, (एन0जी0टी0), नई दिल्ली द्वारा चिन्हित नॉन अटेनमेंट सिटीज के क्रम में कानपुर नगर हेतु तैयार किये गये **"Air Pollution Micro Action Plan"** में वायु प्रदूषण के रोक–थाम हेतु निर्धारित बिन्दुओं के सापेक्ष विभिन्न क्रिया कलाप समाहित है। मुख्यतः वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में विद्युत चलित वाहनों का भी योगदान होता है जिसकों आमजन के मध्य विद्युत चलित वाहनों (E-Vehicle) को अधिक से अधिक प्रयोग में लाये जाने हेतु नगर निगम सीमान्तर्गत संचालित विभिन्न पार्किंग स्थलों पर इनके निःशुल्क पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित करते हुये प्रोत्साहित किया जा सकता है।

अतः उक्त उद्देश्य को सफलीभूत किये जाने की दृष्टि से नगर निगम के अन्तर्गत संचालित विभिन्न पार्किंग स्थलों पर विद्युत चलित वाहनों को निःशुल्क पार्किंग की व्यवस्था प्रदान करने की स्वीकृति/निर्णय हेतु प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

.... स्वीकृति प्रदान करते हुये सदन को अग्रसारित किया गया।

टेबुल प्रस्ताव सं0–253

मो0 आमिर खान, पार्षद द्वारा प्रस्तुत एवं कार्यकारिणी सदस्यों द्वारा समर्थित प्रस्ताव पर विचार करना :–

विषय :– जोन–4 के अन्तर्गत पड़ने वाली ''बृजेन्द्र स्वरूप पार्क'' में खाऊ गली बनाये जाने के सम्बन्ध में।

सादर अवगत कराना है कि कानपुर नगर में मौजूदा समय में कोई भी ऐसा स्थान नही है, जिस पर रात में ''फूड स्ट्रीट, (खाऊ गली)'' जैसी कोई चीज या स्थान उपलब्ध हो। जहाँ पर देर रात तक खाने हेतु कोई भी व्यक्ति अपने परिवार सहित आये और इन्जॉय करें। ऐसा कोई भी स्थान इस नगर में कहीं पर नही है। जबकि मा0 उत्तर प्रदेश शासन की ऐसी ही मंशा है।

अतः आपसे मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष सादर अनुरोध है कि ''जोन–4'' के अन्तर्गत पड़ने वाली ''बृजेन्द्र स्वरूप पार्क'' में एक शानदार ''खाऊ गली'' को विकसित करने हेतु आदेश पारित करें।

श्री अनूप शुक्ला द्वारा अवगत कराया गया कि बृजेन्द्र स्वरूप पार्क नहीं बृजेन्द्र स्वरूप ग्राउन्ड है, जिसकी व्यावसायिक बुकिंग नगर निगम द्वारा की जाती है। अतएव इस प्रस्ताव को बृजेन्द्र स्वरूप ग्राउन्ड पढ़ा जाये।

सभापति ने कहा कि खाउ गली की जो व्यवस्था होगी वह पूर्णतया अस्थायी होगी और किसी प्रकार का निर्माण कार्य खाउ गली हेतु नहीं कराया जायेगा, वर्तमान में जो जल निगम की पाइपे रखी हुई है, उनको हटावाकर पूरे ग्राउन्ड का समतलीकरण कराया जाये। जिससे खाउ गली का शुभारम्भ हो सके।

.... तद्नुसार नगर निगम अधिनियम के अनुसार नगर आयुक्त को कार्यवाही करने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।

टेबुल प्रस्ताव सं0–254

श्री हाजी सुहेल अहमद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार करना :–

विषय :– मेरे वार्ड–109, नाजिरबाग में व्याप्त जल संकट को देखते हुये एक नलकूप लगाये जाने के सम्बन्ध में।

सादर अवगत कराना है कि मेरे वार्ड–109 नाजिरबाग में भीषण जल संकट व्याप्त है। आम जनता पानी की समस्या के कारण त्राहि–त्राहि कर रही है। क्षेत्र में एकमात्र बना Z.P.S. लोगों को पानी नही दे पा रहा है। गंगा बैराज से पानी Z.P.S. तक पहुँचाने में जल निगम की डाली पाइप लाईन पूर्ण रूप से खराब है। Z.P.S. तक पानी पहुँचाने का एकमात्र साधन जल संस्थान द्वारा डाली गई राइजिंग लाईन पड़ी है, जिससे पानी न के बराबर आता है। उक्त टंकी को भरने के लिये एक नलकूप का लगाया जाना अति आवश्यक है।

अतः आपसे मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष सादर अनुरोध है कि जनहित में 15वें वित आयोग या किसी अन्य योजना के अन्तर्गत मेरे वार्ड–109 में एक नलकूप लगाये जाने का आदेश पारित करने का कष्ट करें। ताकि आम जनमानस को पानी की व्यवस्था हो सके।

.... तद्नुसार नगर आयुक्त को आवश्यक कार्यवाही कराने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।

टेबुल प्रस्ताव सं0–255

श्री दिनेश तिवारी द्वारा प्रस्तुत एवं अन्य कार्यकारिणी सदस्यों द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार करना :–

सादर अवगत कराना है कि कानपुर नगर निगम के अन्तर्गत सभी वार्डो में जगह–जगह खराब सबमर्सिबल पड़े हुये है।

कृपया जनहित में खराब पड़े सबमर्सिबलों को रिपेयरिंग कराकर चालू करवाने की कृपा करें। मा॰ कार्यकारिणी के समक्ष प्रस्तुत है।

.... **शहर में ठूंठ पड़े समर्सिबलों की संख्या एवं स्थान सहित तथा पूर्व में किस संस्था/एन0जी0ओ0 द्वारा संचालित किया जा रहा था, के सम्बन्ध में आख्या सहित अगली मा0 कार्यकारिणी समिति में प्रस्तुत किया जाये, साथ ही यह भी अवगत कराया जाये कि वर्तमान में शासन से समबर्सिबल पम्पो के संचालन के सम्बन्ध क्या दिशा–निर्देश है ?**

टेबुल प्रस्ताव सं0–256

श्री राशिद महमूद द्वारा प्रस्तुत एवं अन्य कार्यकारिणी सदस्यों द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार करना :–

विषय :– जलकल विभाग, कानपुर में व्याप्त भ्रष्टाचार की जाँच कराने हेतु जाँच कमेटी बनाये जाने तथा विकास व रख–रखाव हेतु समस्त कार्यो का लेखा–जोखा जोनल स्तर पर किये जाने के आदेश किये जाने के सम्बन्ध में।

सादर अवगत कराना है कि जलकल विभाग, कानपुर में भ्रष्टाचार चरम पर है। फर्जी फाइलों का खेल निरन्तर जारी है। तमाम फाइलें जो बनाई जाती है, वो मुख्यालय स्तर पर बनाई जाती है, जिसकी जानकारी जोन या वार्ड स्तर पर न तो अधिशाषी अभियन्ता को होती है न ही जे0ई0 को होती है। वही कुछ एक ठेकेदार फाइलों का टेण्डर करा लेते है और काम नही करते है। जिसके कारण विकास कार्य भी फँस जाते है। बाद में फर्जी भुगतान कराके इतिश्री कर दी जाती है।

इन स्थिति को देखते हुये इस विभाग में जाँच कमेटी बनाकर जाँच किये जाने की अति आवश्यकता है।

अतः आपसे सादर अनुरोध है कि जनहित में जाँच कमेटी बनाये जाने के साथ–साथ विकास व रख–रखाव हेतु किये जाने वाले समस्त कार्यो का लेखा–जोखा जोनल स्तर पर किये जाने के आदेश पारित करें।

.... **नगर आयुक्त को नियमानुसार कार्यवाही कराये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।**

टेबुल प्रस्ताव सं0–257

श्री हरिशंकर गुप्ता द्वारा प्रस्तुत एवं दो अन्य कार्यकारिणी सदस्यों द्वारा समर्थित प्रस्ताव पर विचार करना :–

विषय :– वार्ड के अन्तर्गत नगर निगम द्वारा संचालित भारत सेवा समाज स्कूल में खाली पड़े बृहद जगह पर गरीब लोगों के लिये बारातशाला/धर्मशाला बनवाने हेतु कार्यकारिणी में प्रस्ताव पारित किये जाने के सम्बन्ध में।

सादर ससम्मान आपको अवगत कराना है कि मेरे वार्ड में नगर निगम द्वारा भारत सेवा समाज स्कूल चल रहा है। साथ–साथ बिल्डिंग भी जर्जर स्थित में है और साथ–साथ प्रांगण से जुड़ा काफी बड़ा क्षेत्रफल खाली पड़ा है। आस–पास का पूरा क्षेत्र श्रमिक बस्ती का है। गरीब और कमजोर लोग निवास करते है, इनके पास कोई ऐसा स्थान नही है, जहाँ से वह अपनी बेटियों का विवाह कर सके या कोई कार्यक्रम कर सके।

अतः आपसे विनम्र प्रार्थना है कि अगर इस खाली स्थान में एक बारातशाला अथवा धर्मशाला का निर्माण कर दिया जाये तो यह वहाँ की गरीब एवं कमजोर जनता के हित में एक ऐतिहासिक कार्य होगा, जिसका श्रेय पार्टी एवं आपको होगा ऐसा मेरा मानना है।

........................नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 135 के अनुसार आगणन तैयार कर कार्यवाही कराये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।

टेबुल प्रस्ताव सं0–258 ऑल इण्डिया मोमिन कॉन्फरेन्स द्वारा प्रस्तुत एवं मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित प्रस्ताव पर विचार करना :–

विषय – नगर निगम कब्रिस्तान में अवैध कब्जे के सम्बन्ध में।

अवगत कराना चाहता हूँ कि नगर निगम कब्रिस्तान के अन्तर्गत आने वाले पुराने स्लाटर हाउस की जगह पर वर्षो से लोग अवैध कब्जे करके रह रहे है व कारखाने लगाकर कारोबार कर रहे है, जो सरासर गलत है। लोग कब्रिस्तान में नहाते व शौच करते है, जिससे वहाँ बहुत गन्दगी रहती है। नगर निगम कब्रिस्तान में एक नाला भी कुछ वर्षो से बह रहा है, जिसका पानी कब्रों में जाता है। जिसके कारण लोगो को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

अतः ऑल इण्डिया मोमिन कौन्फ्रेन्स आपसे अनुरोध करती है कि इन अवैध कब्जों को हटाया जाये और कब्रिस्तान की जगह को मुक्त कराया जाये।

.... नगर आयुक्त को एक माह के अन्दर कार्यवाही कराये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।

टेबुल प्रस्ताव सं0– 259 श्री विजय यादव द्वारा प्रस्तुत एवं कार्यकरिणी सदस्यों द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार करना :–

आपको सादर अवगत कराना है कि आवास विकास केशवपुरम् के आई सेक्टर में अम्बेडकर भवन के सामने स्थित पार्क दुर्दशाग्रस्त है। उक्त पार्क का सुन्दरीकरण कर पार्क में फुटवे, बाउण्ड्रीवाल, गेट, रंगाई–पुताई एवं सीनियर सिटीजन के बैठने हेतु बेंच आदि की आवश्यकता है।

अस्तु आपसे विनम्र अनुरोध है कि उक्त पार्क का प्रस्ताव नगर निगम कार्यकारिणी में शामिल करने का कष्ट करें।

.... नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 135 के अनुसार आगणन तैयार कर कार्यवाही कराये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।

<u>टेबुल प्रस्ताव सं0– 260</u> श्री गिरिजा यादव, अध्यक्ष महर्षि दयानन्द विहार जन–कल्याण समिति द्वारा प्रस्तुत एवं मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित प्रस्ताव पर विचार करना :–

विषय :– <u>महर्षि दयानन्द विहार स्थित श्री रामनाथ कोविन्द महामहिम राष्ट्रपति महोदय के आवास को जाने वाले निम्नांकित मार्ग, चौराहा तथा पार्क का नामकरण सदन में पास कराये जाने विषयक।</u>

महर्षिद दयानन्द विहार स्थित श्री रामनाथ कोविन्द महामहिम राष्ट्रपति महोदय के आवास को जाने वाले मार्ग, चौराहा तथा पार्क के लिये राष्ट्रहित में तथा पार्क के लिये राष्ट्रहित में तथा श्री रामनाथ कोविन्द महामहिम राष्ट्रपति महोदय की गरिमा के अनुरूप निम्नांकित मार्ग, चौराहा तथा पार्क का नामकरण होना कानपुर के गौरव के लिये अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

अतः महोदया से अनुरोध है कि महर्षि दयानन्द विहार स्थित महामहिम राष्ट्रपति महोदय के आवास को जाने वाले निम्नांकित मार्ग, चौराहा तथा पार्क का नामकरण सदन में पास कराने की कृपा करें।

नगर आयुक्त ने कहा कि चूँकि प्रश्नगत प्रस्ताव माननीय राष्ट्रपति भारत गणराज्य से सम्बन्धित है। अतः माननीय राष्ट्रपति महोदय की सहमति/असहमति अथवा अनापत्ति समीचीन है, तद्नुसार ही कार्यवाही की जा सकती है।

.... **प्रश्नगत प्रस्ताव मान्नीय राष्ट्रपति से सम्बन्धित है, अतएव प्रस्तावक मान्नीय राष्ट्रपति कार्यालय से अनापत्ति प्राप्त कर नगर निगम को उपलब्ध कराये, तदोपरान्त कार्यवाही किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।**

<u>टेबुल प्रस्ताव सं0–261</u>

माननीय महापौर जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार करना :–

कृपया आप सभी अवगत है कि स्व0 श्रीमती सरला सिंह, जो कि वर्ष 1995–2000 निर्वाचित सदन की माननीय नगर प्रमुख थी, का सामाजिक एवं नागरिक समस्याओं के निस्पादन एवं निस्तारण के प्रति सदैव सराहनीय योगदान रहा है। भारतीय जनता पार्टी में अहम पदों से भी विभूषित रही तथा अनेक उत्कृष्ट कार्य किये।

अतः ऐसे व्यक्तित्व के दृष्टिगत उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने हेतु मोतीझील परिसर स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाटिका वाले मुख्य द्वार से गुरू गोविन्द सिंह द्वार वाले मार्ग का नामकरण **"सरला सिंह मार्ग"** किया जाना कार्यकारिणी समिति में स्वीकृतार्थ प्रस्तुत है।

.... **सर्वसम्मति से मोतीझील परिसर स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाटिका वाले मुख्य द्वार से गुरू गोविन्द सिंह द्वार वाले मार्ग का नामकरण "सरला सिंह मार्ग" किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।**

<u>टेबुल प्रस्ताव सं0–262</u>

प्रभारी मुख्य अभियन्ता (मा0प्र0) द्वारा प्रस्तुत एवं नगर आयुक्त द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार करना :–

सन्दर्भ :– **विद्युत शवदाह गृहों में विद्युत भार बढ़ जाने के कारण शव दहन शुल्क निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में।**

कृपया अवगत कराना है कि पत्रांक डी/01/ए0एम0सी0(प्रथम)/2016–17 दिनांक 04.04.2016 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा विद्युत शवदाह गृह भैंरोघाट एवं भगवतदास घाट में निःशुल्क शव दहन किये जाने हेतु आदेशित किया गया, जिसके अनुपालन में शव दहन का कार्य निःशुल्क कराया जा रहा है। वर्तमान में कोविड–19 वैश्विक महामारी के संक्रमित शवों का दहन शवदाह गृहों में किये जाने का प्रोटोकाल जारी किया गया है। जिसके कारण प्रत्येक शवदाह गृह में हर दिन 10–12 शवों का दहन किया जा रहा है। वर्तमान में कोविड–19 वैश्विक महामारी को दृष्टिगत रखते हुये दोनो विद्युत शवदाह गृहों को दो शिफ्टों में चलाये जा रहे है। जिससे बिजली की खपत/अन्य व्यय काफी बढ़ जाने के कारण नगर निगम को अधिक व्यय भार उठाना पड़ रहा है।

अतः उक्त शवदाह गृहों में होने वाले व्यय भार का एक आंशिक अंश के रूप में प्रति शव दहन शुल्क रू0 2500/– निर्धारित किये जाने की स्वीकृति/निर्णय हेतु प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी के समक्ष प्रस्तुत है।

.... विद्युत शवदाह गृहों में प्रति शव दहन शुल्क रू0 1000/– किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हुये सदन को अग्रसारित किया गया।

टेबुल प्रस्ताव सं0–263

श्री मुकुन्द मिश्रा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उ0प्र0 उद्योग व्यापार मण्डल द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार करना :–

विषय :– **कोपरगंज चौराहा (चाचा नेहरू अस्पताल) को व्यापारिक स्मारक के रूप में बना कर सुन्दरीकरण करने के संदर्भ में।**

निवेदन है कि उ0प्र0 उद्योग व्यापार मण्डल प्रदेश के व्यापारियों की सबसे पुरानी व सर्वमान संस्था है, अब तक इसके विभिन्न आंदोलनों 14 व्यापारी संघर्ष करते शहीद हुए है, जिनकी याद में प्रतिवर्ष 26 मई को पूरे प्रदेश में व्यापारी शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, आपसे निवेदन है कि व्यापारिक क्षेत्र गिरे हुए होने के कारण कोपरगंज चाचा नेहरू हॉस्पिटल चौराहे को व्यापार मण्डल के नाम देने की कृपा करें। जिस कारण उस चौराहे का सुन्दरीकरण कराके उसको व्यापारी स्मारक के रूप में बना कर उसका सुन्दरीकरण कराया जा सके।

.... प्रस्तावक से प्रारूप प्राप्त करें, तदोपरान्त नगर आयुक्त को नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।

टेबुल प्रस्ताव सं0–264

श्री अर्पित यादव द्वारा प्रस्तुत एवं अन्य कार्यकारिणी सदस्यों द्वारा समर्थित प्रस्ताव पर विचार करना :–

विषय :– विश्व बैंक के अन्तर्गत पार्कों में ओपेन जिम बनाये जाने हेतु प्रस्ताव।

सादर अवगत कराना है कि विश्व बैंक कालोनी के अन्तर्गत एक ब्लाक में 1200 मकान है, जो कि घनी आबादी का क्षेत्र है। विश्व बैंक कालोनी के डी, ई, एच व बर्रा–8 का ए व बी ब्लाक स्थित पार्क में ओपेन जिम बनवाने का कष्ट करें।

अतः मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्ताव दे रहा हूँ, स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

.... नगर आयुक्त को नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।

टेबुल प्रस्ताव सं0–265

श्री अर्पित यादव द्वारा प्रस्तुत एवं अन्य कार्यकारिणी सदस्यों द्वारा समर्थित प्रस्ताव पर विचार करना :–

विषय :– एन.एच. हाईवे के समीप पुलिया का निर्माण हेतु।

सादर अवगत कराना है कि विश्व बैंक कालोनी, बर्रा मा0 विधायक विक्रम सिंह जी के घर के सामने एन.एच. हाईवे में अण्डरपास से जनता निकलकर विपरीत दिशा में चलती है। अतः उक्त अण्डरपास से आगे एक नीचे की ओर पुलिया व सड़क का निर्माण कराने का प्रस्ताव जनहित में दे रहा हूँ।

मा0 कार्यकारिणी स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

.... नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 135 में वर्णित प्राविधानों के अनुसार नगर आयुक्त को नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।

टेबुल प्रस्ताव सं0–266

श्रीमती अंजू मिश्रा द्वारा प्रस्तुत एवं दो कार्यकारिणी सदस्यों द्वारा समर्थित प्रस्ताव पर विचार करना :–

विषय :– कांजी हाउस को रैन बसेरे के रूप में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।

सादर निवेदन है कि मेरे वार्ड–35 कल्यानुपर उत्तरी में निष्प्रयोज, अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा कब्जे में पड़े कांजी हाउस, जो कि कल्यानपुर थाने के पीछे स्थित है। जिसको रैन बसेरे के रूप में परिवर्तित कर जनहित में सार्वजनिक रूप से प्रयोग हेतु प्रयोग में लाया जाना उचित एवं आवश्यक है।

सादर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

.... नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 135 में वर्णित प्राविधानों के अनुसार नगर आयुक्त को नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।

टेबुल प्रस्ताव सं0–267

श्री राजीव सेतिया द्वारा प्रस्तुत एवं तीन कार्यकारिणी सदस्यों द्वारा समर्थित प्रस्ताव पर विचार करना :–

निवेदन है कि श्याम नगर वार्ड–74 जोन–2 में तिकोनिया पार्क जिसका अभी तक कोई नामकरण नही हुआ है। अतः आपसे निवेदन है कि आपने सदन के पूर्व सदस्य (पूर्व पार्षद) स्व0 मदन लाल सेतिया स्मृति पार्क के नाम से नामकरण कर दिया जाये।

.... **परीक्षणोंपरान्त यदि सन्दर्भित पार्क का पूर्व से कोई नामकरण न हो तो नमाकरण किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।**

टेबुल प्रस्ताव सं0–268

श्री राघवेन्द्र मिश्रा द्वारा प्रस्तुत एवं दो अन्य कार्यकारिणी सदस्यों द्वारा समर्थित प्रस्ताव पर विचार करना :–

विषय :– क्रिया घर के सन्दर्भ में।

अवगत कराना है कि वार्ड–91 शास्त्री नगर स्थित बड़ा सेन्टर पार्क में पीपल के पेड़ की छाव में मृत व्यक्तियों के निमित्त हिन्दू परम्परा के अनुसार क्रिया होती है। जिसमें हमारी माताओं, बहन को खुले में स्नान करने में मजबूर होना पड़ता है। इस स्थान पर विजय नगर, सरोजनी नगर, पाण्डु नगर व शास्त्री नगर के लोग क्रिया करने आते है।

अस्तु उपरोक्त कार्य जनहित को दृष्टिगत रखते हुये अति आवश्यक है। स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें।

.....................**नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 135 में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत श्रम विभाग से अनापत्ति प्राप्त कर प्रश्नगत क्षेत्र में जनहित के दृष्टिगत एक क्रियाघर का निर्माण कराये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।**

टेबुल प्रस्ताव सं0–269

श्री राघवेन्द्र मिश्रा द्वारा प्रस्तुत एवं दो अन्य कार्यकारिणी सदस्यों द्वारा समर्थित प्रस्ताव पर विचार करना :–

विषय :– केयर टेकर के माध्यम से कार्यरत आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के वेतन के सन्दर्भ में।

संलग्न सूची केयर टेकर विभाग के माध्यम से आउटसोर्सिंग कर्मचारी नगर निगम के विभिन्न विभागों में अपनी सेवायें दे रहे है। इनके वेतन में भारी मात्रा में अनियमिततायें है। इन्हें मात्र 5100/– रू0 ही वेतन दिया जाता है। जे0टी0एन0 कम्पनी के प्रबन्धन से वार्ता की जिससे यह पता चला कि इन कर्मचारियों को 192/– रू0 प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान होता है। इन कर्मचारियों के पास न तो सामाजिक सुरक्षा का कवच है और न ही पी0एफ0 का खाता संख्या।

यहाँ यह अवगत कराना नितान्त आवश्यक है कि उपरोक्त कर्मचारी अकुशल श्रेणी के कर्मचारी है। इन्हें शासन द्वारा जारी वेतन नीति के अनुसार अकुशल श्रेणी का 308/– रू0 प्रतिदिन के हिसाब से वेतन मिले, मा0 कार्यकारिणी के समक्ष स्वीकृत हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत है।

.... **उपरोक्त के सम्बन्ध में प्रस्ताव सं0–227 पर निर्णय लिया जा चुका है।**

<u>टेबुल प्रस्ताव सं0–270</u>

श्री इसरार अम्बिया अंसारी, मुख्य नगर लेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत एवं नगर आयुक्त द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार करना :–

कृपया सचिव, नगर निगम कार्यालय के प्रयोगार्थ एक मोनो क्रोम ब्लैक एण्ड व्हाइट एडवान्स रेजयोग्राफी विथ स्कैनर इण्डस्ट्रियल बेस मशीन क्रय करें से सम्बन्धित पत्रावली पर स्वकीय टिप्पणी दिनांक 29.07.2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

प्रकरण से सम्बन्धित उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 135 निम्नवत् है :–

1. नगर आयुक्त किसी तखमीने जो कि दस लाख रूपये से अधिक न हो, स्वीकृति दे सकता है। (1 क) महापौर किसी तखमीने की जो पन्द्रह लाख रूपये से अधिक न हो स्वीकृत कर सकती है।
2. कार्यकारिणी समिति किसी तखमीने को जिसकी राशि बीस लाख रूपये से अधिक न हो स्वीकृत कर सकती है।
3. राज्य सरकार उपधारा (1) य उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट आर्थिक सीमाओं की लागत में वृद्धि के कार्य को अत्यावश्यकता और निगम की दक्षता की दृष्टि में रखते हुये, गजट में अधिसूचना द्वारा उपान्तरित कर सकती है।

अतः नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 135 के प्रस्तर (2) के अनुसार कार्यकारिणी समिति से स्वीकृति प्राप्त कर कार्यवाही किया जाना नियमानुकूल होगा।

सचिव, नगर निगम ने नगर आयुक्त महोदय को सनुरोध अवगत कराया कि दिनांक–08.11.2019 को सम्पन्न हुई कार्यकारिणी समिति की बैठक के प्रस्ताव सं0–199, जिसमें एक नग मोनोक्रोम ब्लैक एण्ड व्हाइट रेजयोग्राफी विथ स्कैनर इण्डस्ट्रियल बेस मशीन क्रय किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई थी, चूँकि प्रश्नगत मशीन रू0 16,99,990.00/– मात्र की क्रय की गई है, अतः वित्तीय स्वीकृति हेतु आपने माननीय कार्यकारिणी समिति में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये थे। तद्नुसार वित्तीय स्वीकृति हेतु पत्रावली प्रस्तुत है।

.... **एक मोनो क्रोम ब्लैक एण्ड व्हाइट एडवान्स रेजयोग्राफी विथ स्कैनर इण्डस्ट्रियल बेस मशीन रू0 16,99,990.00/– (रूपया सोलह लाख निन्यानवें हजार नौ सौ नब्बे मात्र) में क्रय करने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।**

<u>टेबुल प्रस्ताव सं0–</u> **271** अपर नगर आयुक्त द्वारा प्रस्तुत एवं नगर आयुक्त द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार करना :–

नगर आयुक्त की संस्तुति से अपर नगर आयुक्त ''द्वितीय'' द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत :–

विषय :– नगर निगम, कानपुर में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत वेब डेवलपर के पारिश्रमिक धनांक 18000.00 में बढ़ोत्तरी कर धनांक 24000.00 किये जाने के सम्बन्ध में।

कानपुर नगर निगम में 01 कर्मचारी आउटसोर्सिंग के माध्यम से वर्ष 2011–12 से रू0 18000/– पर वेब डेवलपर के पद पर कार्यरत है, जो पूर्ण निष्ठा के साथ अपने कार्यो एवं दायित्वों का निर्वहन कर रहे है। वेब डेवलपर ने अनुरोध किया है कि कई वर्षो से भत्ते में वृद्धि नही की गई है, और विगत वर्षो में हुई महंगाई वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुये रू0 18000/– में परिवार का भरण पोषण करने में असुविधा हो रही है जबकि जेम पोर्टल पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से **वेब डेवलपर** पद हेतु वर्तमान समय में प्रतिमाह रू0– 30,000.00 मानदेय की दरें निर्धारित है।

उपरोक्त को दृष्टिगत नगर निगम, कानपुर में आउटसोर्सिंग संस्था के माध्यम से कार्यरत वेब डेवलपर को धनांक 24000.00 प्रतिमाह पारिश्रमिक एवं उस पर 02 प्रतिशत सेवा शुल्क सहित कुल रू0– 24480.00 सेवा प्रदाता कम्पनी को भुगतान किये जाने की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

.... **उपरोक्त के सम्बन्ध में प्रस्ताव सं0–227 पर निर्णय लिया जा चुका है।**

<u>टेबुल प्रस्ताव संख्या–272</u>

श्री सौरभ देव, पार्षद द्वारा प्रस्तुत एवं मा0 महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष स्वीकृत्यर्थ प्रस्तुत :–

श्री शशि कान्त वाजपेई, प्रथम श्रेणी लिपिक, जोनल कार्यालय, जोन–4 में कार्य करते हुए सेवानिवृत्त हो चुके है। श्री वाजपेई को नगर निगम में कर निर्धारण कार्य का काफी अच्छा अनुभव है। जिन्हें आवश्यकतानुसार जोनल कार्यालय में आउटसोर्स के माध्यम से पदस्थ किया जाये। अतएव श्री शशि कान्त वाजपेई को 01 वर्ष के लिये नगर निगम कानपुर में आउटसोर्स के माध्यम से रखे जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत है।

.... **नगर आयुक्त को नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।**

<u>टेबुल प्रस्ताव संख्या–273</u>

प्रियंका सिंह, शाखा प्रबन्धक, बैक ऑफ बड़ौदा, बर्रा, द्वारा प्रस्तुत एवं मा0 महापौर जी द्वारा अनुमोदित मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष स्वीकृत्यर्थ प्रस्तुत :–

हमारी शाखा बर्रा में स्थित है, बैक ऑफ बड़ौदा, शाखा–बर्रा मे नया खाता यदि नगर निगम द्वारा खोला जाये, तो बैकिंग और अन्य वित्तीय सेवाओं के लिये हमारी शाखा बैंक तत्पर रहेगा व हमारी अच्छी सेवाओं का लाभ नगर निगम को सदैव मिलता रहेगा।

................................**नगर आयुक्त को नियमानुसार कार्यवाही हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी।**

सभापति ने सभी सदस्यों से आज दिनांक–18.09.2020 को सम्पन्न हुई कार्यकारिणी समिति की बैठक की पुष्टि किये जाने हेतु अपना–अपना अभिमत व्यक्त किये जाने हेतु कहा।

.... **सभी सदस्यों द्वारा आज दिनांक 18.09.2020 को सम्पन्न हुई कार्यकारिणी समिति की बैठक की पुष्टि की गई।**

अन्त में बैठक का समापन हुआ।

ह०........................
(प्रमिला पाण्डेय)
महापौर / सभापति